भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक
SMALL INDUSTRIES DEVELOPMENT BANK OF INDIA
प्रधान कार्यालय: सिडबी टावर, 15, अशोक मार्ग, लखनऊ - 226001
HEAD OFFICE: SIDBI TOWER, 15, ASHOK MARG, LUCKNOW - 226001

विज्ञापन संख्या 04/ग्रेड ए/2023-24
Advertisement No. 04/Grade A/2023-24

ग्रेड 'ए'-सामान्य स्ट्रीम में अधिकारियों की भर्ती: 2023
Recruitment of Officers in Grade 'A'– General Stream: 2023

भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (सिडबी) में **ग्रेड 'ए' (सामान्य स्ट्रीम) में सहायक प्रबंधक** के पद के लिए पात्र अभ्यर्थियों से आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि वे इस आवेदन में शामिल सभी निर्देशों और इस विज्ञापन में दिए गए सामान्य निर्देशों को ध्यान से पढ़ने के बाद सिडबी की वेबसाइट **www.sidbi.in** के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन करें। **आवेदन का कोई अन्य माध्यम/मोड/प्रिंटआउट स्वीकार नहीं किया जाएगा।**

Applications are invited from eligible candidates for the post of **Assistant Manager in Grade 'A' (General Stream)** in Small Industries Development Bank of India (SIDBI). Candidates are advised to apply **ONLINE** through SIDBI's website at **www.sidbi.in** after carefully going through all the instructions contained in this application and general instructions given in this advertisement. **No other means /mode of Application / Printout will be accepted.**

महत्वपूर्ण तिथियाँ / समय सीमा Important Dates / Timelines	
ऑनलाइन पंजीकरण गेटवे / शुल्क भुगतान का प्रारम्भ / Opening of Online Registration Gateway / payment of fees	**08 नवंबर, 2023 November 08, 2023**
ऑनलाइन पंजीकरण गेटवे / शुल्क भुगतान की अंतिम तिथि Closing of Online Registration Gateway / payment of fees	**28 नवंबर, 2023 November 28, 2023**
पात्रता मानदंड के अनुसार आयु के संबंध में पात्रता के निर्धारण की अंतिम तिथि Cut- off date for determining Eligibility Criteria with regard to age	**08 नवंबर, 2023 November 08, 2023**
शैक्षिक अर्हता पश्चात अनुभव संबंधी पात्रता मानदंड के निर्धारण की अंतिम तिथि Cut-off date for determining Eligibility Criteria with regard to Post qualification Experience	**28 नवंबर, 2023 November 28, 2023**
समूह चर्चा एवं साक्षात्कार की संभावित तिथि Tentative Date of Group Discussion & Interview	**दिसंबर, 2023/ जनवरी 2024 December 2023/ January 2024**

सिडबी भारत में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (एमएसएमई) क्षेत्र के संवर्द्धन, वित्तपोषण और विकास के लिए संसद के

एक अधिनियम के तहत स्थापित प्रमुख वित्तीय संस्था है। एमएसएमई क्षेत्र जोकि सिडबी का संकेंद्रित व्यवसाय प्रक्षेत्र है, विगत साढ़े सात दशकों के दौरान भारतीय अर्थव्यवस्था का एक महत्वपूर्ण स्तंभ रहा है, जिसने औद्योगिक क्षेत्र में रचनात्मकता, नवाचार और गतिशीलता का योगदान दिया है जिससे देश भर में औद्योगिक विकास को गति मिली है। सिडबी एमएसएमई के वित्तपोषण और संवर्धन तथा विकास के लिए विभिन्न योजनाएं परिचालित करता है।

SIDBI is the Principal Financial Institution set up under an Act of Parliament for promotion, financing, and development of Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs) sector in India. MSME sector, the focused business domain for SIDBI, has been an important pillar of the Indian Economy in the last seven and a half decades, having contributed to creativity, innovation, and dynamism in the industrial sector which has led to the spread of industrial development across the country. SIDBI operates various schemes for financing and promotion and development of MSMEs.

सिडबी का ध्येय ' एमएसएमई पारितंत्र में एमएसएमई इकाइयों को ऋण के प्रवाह को सुगम और सुदृढ़ बनाना और इस क्षेत्र के सामने आने वाली वित्तीय और विकासपरक अंतरालों का समाधान करना' है। सिडबी 'एमएसएमई क्षेत्र की वित्तीय और विकास संबंधी जरूरतों को पूरा करने के लिए एकल खिड़की के रूप में उभरने, इसे सुदृढ़, जीवंत और विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाने, सिडबी ब्रांड को पसंदीदा ग्राहक अनुकूल संस्था के रूप में स्थापित करने और आधुनिक प्रौद्योगिकी मंच के माध्यम से शेयरधारकों की संपत्ति में और उच्चतम कॉर्पोरेट मूल्य' में वृद्धि' के दृष्टिकोण से कार्य कर रहा है।

SIDBI's **Mission** is to 'To facilitate and strengthen credit flow to MSMEs and address both financial and developmental gaps in the MSME eco-system'. SIDBI is working with the **Vision** 'To emerge as a single window for meeting the financial and developmental needs of the MSME sector to make it strong, vibrant and globally competitive, to position SIDBI Brand as the preferred customer friendly institution and for enhancement of shareholders wealth and highest corporate values through modern technology platform'.

इसे प्राप्त करने के लिए, एमएसएमई क्षेत्र के वित्तपोषण में गुणक प्रभाव / वृहत्तर पहुंच पर ध्यान केंद्रित करते हुए सिडबी अप्रत्यक्ष ऋण प्रदान करने के लिए बैंकों, एसएफबी, एनबीएफसी, एमएफआई और नए दौर के फिनटेक के साथ सक्रिय रूप से साझेदारी करता है। सिडबी ऋण वितरण परितंत्र द्वारा ऐसे प्रदर्शन योग्य और रचनात्मक ऋण उत्पादों का उपयोग करके एमएसएमई क्षेत्र में मौजूदा ऋण अंतराल को पाटने के उद्देश्य से प्रत्यक्ष ऋण के माध्यम से औद्योगिक संकुलों में रणनीतिक हस्तक्षेप करता है, जिसका अनुसरण अन्य ऋणदात्री संस्थाओं द्वारा भी किया जा सके।
In order to achieve the same, SIDBI proactively partners with Banks, SFBs, NBFCs, MFIs, and New Age FinTechs for Indirect lending, focusing on multiplier effect / larger reach in financing the MSME sector. SIDBI also makes strategic interventions in Industrial Clusters through direct lending with an intent to bridge current credit gaps in the MSME sector by using demonstrable and creative lending products that can be scaled up by the credit delivery ecosystem.

सिडबी अपने फंड ऑफ फंड्स पहल के माध्यम से स्टार्टअप्स की सहायता करके भारत में उद्यमिता संस्कृति के विकास में वृद्धि को भी सुगम कर रहा है। इसके अलावा, सिडबी उद्यमिता को बढ़ावा दे रहा है और क्रेडिट-प्लस पहल - सरकार की एमएसएमई-उन्मुख योजनाओं के लिए नोडल एजेंसी जैसी भूमिकाओं में एक सुविधाप्रदाता स्वरूप के माध्यम से एमएसएमई क्षेत्र के व्यापक विकास के लिए उभरते उद्यमों की सहायता कर रहा है।

SIDBI is also facilitating growth of entrepreneurship culture in India by helping Startups through its Fund of Funds initiatives. Besides that, SIDBI is promoting entrepreneurship and assisting nascent enterprises for the comprehensive development of the MSME sector through credit - plus initiatives, acting as a facilitator in capacities such as Nodal Agency for the Government's MSME - oriented Schemes.

सिडबी एक समान अवसर नियोक्ता है और उसका विश्वास है कि उसके अधिकारी, प्रक्रियाएं और प्रौद्योगिकी ग्राहक सेवा प्रदान करने के प्रमुख प्रचालक हैं। सिडबी का दृढ़ विश्वास है कि उसका मानव संसाधन उसकी सबसे मूल्यवान आस्ति है। तदनुसार, बैंक को सिडबी की विकास गाथा का हिस्सा बनने के लिए गतिशील और महत्वाकांक्षी युवाओं की तलाश है और वह निम्नलिखित पद के लिए आवेदन आमंत्रित करता है:

SIDBI is an equal opportunity employer and believes that its people, processes and technology are the key drivers for delivering customer service. SIDBI firmly believes that its Human Resource is its most valuable asset. Accordingly, the Bank is looking for dynamic and ambitious youngsters to be part of the SIDBI growth story and invites applications for the following post:

1. रिक्तियों की संख्या तथा आरक्षण
Number of vacancies and reservation:

पद का नाम वेतनमान (`में) न्यूनतम सकल परिलब्धियाँ (प्र.मा) **Name of Post Payscale (in `) Minimum Gross emoluments (` p.m.)**	रिक्तियों की कुल संख्या **No. of total vacancies**	निम्न के लिए आरक्षित रिक्तियाँ **Vacancies reserved for**				अनारक्षित UR	कुल Total	जिन मेंसे दिव्याङ्ग जन के लिए आरक्षित **Out of which reserved for PwBD***			
		अनुसूचित जाति **SC**	अनुसूचित जाति **ST**	अन्य पिछड़ा वर्ग **OBC**	आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग **EWS**			श्रबा	ओसी **OC**	ओसी **VI**	विविध विकलांगता /बौद्धिक विकलांगता **MD / ID**
सहायक प्रबन्धक ग्रेड "ए" जनरल स्ट्रीम **Assistant Manager Grade 'A' - General Stream** 44500 -	50	8	4	11	5	22	50	1	0	1	1#

2500(4) - 54500 - 2850(7) – 74450 -EB - 2850(4) – 85850 - 3300(1) - 89150 (17 years) **`90,000/- approx.**											

\# बैकलॉग रिक्ति# **Backlog Vacancy**

* **दिव्याङ्ग जन** - "विकलांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम, 2016" में परिभाषित किए अनुसार बेंचमार्क विकलांगता वाले व्यक्ति है (i) एचआई - श्रवण बाधित; (ii) ओसी - आर्थोपेडिक रूप से विकलांग; (iii) वीआई - दृष्टिबाधित; (iv) एमडी - एकाधिक विकलांगताएं; (v) आईडी - बौद्धिक विकलांगता।

*** PwBD – Persons with Benchmark Disabilities as defined in the "The Rights of Persons with Disabilities Act, 2016" (i) HI - Hearing Impaired; (ii) OC - Orthopedically challenged; (iii) VI – Visually Impaired; (iv) MD – Multiple Disabilities; (v) ID - Intellectual Disability.**

i. ऊपर उल्लिखित पदनाम/ पद का नाम केवल सांकेतिक है। बिना किसी सूचना के किसी भी समय पदनाम/पद का नाम बदलने का अधिकार सिडबी के पास सुरक्षित है।

The designation / name of the post mentioned above is only indicative. SIDBI reserves the right to change the designation / name of post at any time without notice.

ii. अभ्यर्थियों की प्रतीक्षा सूची तैयार करने और वास्तविक आवश्यकता को पूरा करने के लिए ऐसे प्रतीक्षा सूची वाले अभ्यर्थियों पर विचार करने का अधिकार सिडबी के पास सुरक्षित है। प्रस्ताव/नियुक्ति पत्र सिडबी की आवश्यकता के अनुसार चरणों में जारी किए जा सकते हैं।

SIDBI reserves the right to draw wait lists of candidates and consider such wait listed candidate (s) for meeting actual requirement. Offer / Appointment Letters could be issued in phases as per the requirement of the SIDBI.

iii. रिक्तियों की कुल संख्या, जिसमें गैर-आरक्षित (यूआर) और ऊपर उल्लिखित आरक्षित रिक्तियां शामिल हैं, अनंतिम हैं और सिडबी की वास्तविक आवश्यकता के आधार पर भिन्न हो सकती हैं। अनु जाति/अनु जनजाति/आ.पि.व./ईडब्ल्यूएस/पीडब्ल्यूबीडी श्रेणियों के लिए रिक्तियों में संबंधित श्रेणियों में बैकलॉग और कमी, यदि कोई हो, शामिल है। ऊपर दर्शाई गई आरक्षित रिक्तियों की सटीक संख्या जारी किए गए प्रस्ताव/नियुक्ति पत्रों की वास्तविक संख्या/शामिल होने वाले अभ्यर्थियों की संख्या के आधार पर भिन्न हो सकती है।

The total number of vacancies, which includes Un - Reserved (UR) as also reserved vacancies mentioned above, is provisional and may vary depending upon actual requirement of the SIDBI. The vacancies for SC / ST / OBC / EWS / PwBD categories include backlog and shortfall, if any, in respective categories. The exact number of reserved vacancies indicated above may vary depending upon the actual number of offer / appointment letters issued / number of candidates joining.

iv. 'ऑनलाइन' पंजीकरण गेटवे बंद होने की तिथि पर 'क्रीमी लेयर' के अंतर्गत आने वाले ओबीसी आवेदकों को अनारक्षित माना जाएगा। ऐसे अभ्यर्थियों को सामान्य श्रेणी के तहत आवेदन करना चाहिए।

v. OBC applicants falling under 'Creamy Layer' on the date of closure of 'Online' registration

gateway will be treated as unreserved. Such candidate should apply under General Category.

* आरक्षण का लाभ प्राप्त करने के लिए विकलांगता की परिभाषा और विकलांगता की डिग्री समय-समय पर भारत सरकार द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार होगी। इस संबंध में अधिक जानकारी के लिए अभ्यर्थी सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार की वेबसाइट देख सकते हैं।
  The Definitions of Disabilities and the Degree of Disability for availing benefits of Reservation shall be in accordance with instructions issued by Government of India from time to time. Candidates may like to visit web site of Ministry of Social Justice and Empowerment, Government of India for further details in this regard.

* **यह स्पष्ट किया जाता है कि ऐसा हो सकता है कि सिडबी के सभी कार्यालयों/विभागों में विकलांग अभ्यर्थियों को नियोजित करना संभव न हो और इस संबंध में उन्हें सिडबी के निर्णय के अनुसार पदों/केंद्रों में काम करना होगा।**
  It is clarified that it may not be possible to employ candidates with disability in all offices / departments of the SIDBI and they will have to work in the post / centres as decided by SIDBI in this regard.
* यदि किसी निर्दिष्ट श्रेणी के उपयुक्त आवेदक उपलब्ध नहीं हैं, तो सिडबी एमडी/आईडी अभ्यर्थियों के बीच आरक्षण के परस्पर आदान-प्रदान की अनुमति दे सकता है।
  SIDBI may allow inter - se exchange of reservation between the MD / ID candidates, if suitable applicants of a specified category are not available.

उपर्युक्त पद सिडबी में कार्यरत कर्मचारियों के लिए भी खुला है। सिडबी उन्हें अधिकतम आयु सीमा, आवेदन शुल्क आदि में उचित छूट/रियायतें, जो भी सिडबी उचित समझे, देने का अधिकार सुरक्षित रखता है।
The above post is also open for staff employed in SIDBI. SIDBI reserves the right to give them suitable relaxation / concessions in upper age limit, application fee etc. as deemed fit by SIDBI.

1. कार्य की प्रोफाइल/सेवा शर्तें/करियर संभावनाएं, आदि:
Job Profile / Service Conditions / Career Prospects, etc.:

i. कार्य की प्रोफ़ाइल: ग्रेड 'ए' के अधिकारियों से बैंक के परिचालन के निम्नलिखित व्यापक क्षेत्रों में सक्रिय रूप से योगदान करने की अपेक्षा की जाती है:
Job Profile: The Officers in Grade ‘A’ are expected to contribute proactively in following broad areas of operations of the Bank:

a. प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष ऋणप्रदायन और निगरानी प्रक्रिया के माध्यम से एमएसएमई, अल्पवित्त, स्टार्टअप/उद्यम पूंजी क्षेत्र में ऋण प्रवाह में वृद्धि करना।
Augmenting credit penetration in MSME, Microfinance, Startup / Venture Capital Sector through Direct / Indirect Credit Delivery and Monitoring Mechanisms.

b. विभिन्न हितधारकों के साथ सहयोग और समन्वय सहित एमएसएमई क्षेत्र के लिए बैंक की उद्यमिता संवर्धन और कौशल विकास गतिविधियों में योगदान करना ।
Contributing in entrepreneurship promotion & skill development activities of the Bank for the MSME sector, including facilitating co - operation and co - ordination with various stakeholders.

c. नियमित बाजार प्रतिसूचना /अनुसंधान एकत्र करके व्यवसाय एनालिटिक्स और निर्णय लेने की प्रक्रिया में प्रमुख निविष्टि प्रदाता बनना और विभिन्न नई पहलों और परियोजनाओं को प्राथमिकता देने में बैंक की सहायता करने के लिए अपने क्षेत्रों/क्लस्टरों के रुझानों के साथ प्रबंधन-तंत्र को अद्यतन रखना ।
To be key input providers in Business Analytics and decision - making process by gathering regular market feedback / research and update the Management with the trends in their areas / clusters to assist Bank in prioritization of various new initiatives and projects.

d. आंतरिक प्रबंधन/प्रशासन, नियंत्रण और निगरानी संबंधी कार्यों में सहभागिता ताकि बैंक एमएसएमई क्षेत्र और समग्र अर्थव्यवस्था की बदलती गतिशीलता के मध्य बैंक को एक अनुकूलनीय और उत्तरदायी संगठन के रूप में सुनिश्चित किया जा सके ।

Participate in internal management / administration, control and monitoring related functions to ensure that the Bank remains an adaptable and responsive organization amidst changing dynamics of MSME sector and overall economy.

बैंक द्वारा समय-समय पर सौंपा गया कोई अन्य कार्य।
Any other work as assigned by the Bank from time to time.

e. वर्तमान में, सकल परिलब्धियों में महंगाई भत्ता, ग्रेड भत्ता, विशेष भत्ता, स्थानीय प्रतिपूरक भत्ता आदि शामिल हैं। इसके अलावा, पद के लिए चुने गए अभ्यर्थियों को 'परिभाषित अंशदायी नई पेंशन योजना (एनपीएस)' द्वारा शासित होंगे।
Presently, the gross emolument includes Dearness Allowance, Grade Allowance, Special Allowance, Local Compensatory Allowance, etc. Further, candidates selected for the post will be governed by ‘The Defined Contributory New Pension Scheme (NPS)’.

f. ऊपर दिए गए वेतनमान के अनुसार परिलब्धियों के अलावा, ऊपर बताए गए पदों के लिए ग्रेच्युटी, अवकाश किराया रियायत दो साल में एक बार (स्वयं, पति/पत्नी और पात्र आश्रितों के लिए), चिकित्सा व्यय की प्रतिपूर्ति, वाहन रखरखाव व्यय / भत्ता, लाउंज जैसी अन्य सुविधाएं, सिडबी के नियमों के अनुसार टेलीफोन व्यय, समाचार पत्र, पुस्तक अनुदान, शिक्षा व्यय, निवास की साज-सज्जा के लिए भत्ता, एक महीने की सकल परिलब्धियों तक ब्याज मुक्त त्योहार अग्रिम, सिडबी के आवास या उसके बदले में पट्टे पर फ्लैट सुविधा, कार, आवास के लिए रियायती दरों पर ऋण और अग्रिम यात्रा, व्यक्तिगत कंप्यूटर/टैबलेट आदि की सुविधा मिलेगी । तैनाती की जगह के अनुसार राशि भिन्न हो सकती है।

g. Besides emoluments as per the pay scale given above, the posts indicated above shall carry other facilities like gratuity, leave fare concession (once in two years for self, spouse and eligible dependents), reimbursement of medical expenses, vehicle maintenance expenses / allowance, lounge expenses, telephone expenses, newspaper, book grant, education expenses, allowance for furnishing the residence, interest free festival advance up to one month’s gross emoluments, SIDBI’s accommodations or leased flat facility in lieu thereof, Loans and Advances at concessional rates for car, housing, travel, personal computer / tablets, etc. as per SIDBI’s rules. The amount may vary depending upon the place of posting.

i. सिडबी के मौजूदा दिशानिर्देशों के अनुसार, जिन अभ्यर्थियों ने जेएआईआईबी/सीएआईआईबी (सिडबी में

शामिल होने से पहले) योग्यता प्राप्त की है, वे वेतनमान में एक/दो अग्रिम वेतन वृद्धि देने के लिए विचार किए जाने के पात्र होंगे, बशर्ते कि वे इस संबंध में सिडबी की संतुष्टि के अनुसार दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत करें।

As per the existing guidelines of SIDBI, candidates who have qualified JAIIB / CAIIB (prior to joining SIDBI) will be eligible to be considered for grant of one / two advance increments in pay scale subject to production of documentary evidence to the satisfaction of SIDBI in this regard.

ii. सिडबी, अपने विवेकानुसार, उत्कृष्ट शैक्षणिक योग्यता या सिडबी के लिए विशेष महत्व का अनुभव रखने वाले ऐसे अभ्यर्थियों को, प्रस्तावित पद के वेतनमान में अधिकतम 4 अग्रिम वेतन वृद्धियाँ देने पर विचार कर सकता है (जेएआईआईबी / सीएआईआईबी वेतन वृद्धि सहित)। यद्यपि, ऐसे अनुरोधों की जांच सिडबी द्वारा प्रत्येक मामले में अलग-अलग आधार पर तभी की जाएगी जब अभ्यर्थी ड्यूटी के लिए रिपोर्ट करेगा और सिडबी द्वारा अपेक्षित आवश्यक दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत किए जाएंगे। ऐसी अग्रिम वेतन वृद्धि देने या अन्यथा देने के लिए सिडबी का निर्णय, साथ ही ऐसी अग्रिम वेतन वृद्धि देने की तारीख, उम्मीदवार के लिए अंतिम और बाध्यकारी होगी और इस संबंध में किसी भी पत्राचार पर विचार नहीं किया जाएगा।

iii. SIDBI, at its discretion, may grant not more than 4 advance increments (including JAIIB / CAIIB increments) in the pay scale in which the candidate has been offered the post, to such candidates who possess good academic qualification or special experience of value to SIDBI. However, such requests shall be examined on a case – to - case basis by SIDBI only after the candidate has reported for duty and submitted necessary documentary evidence, as required by SIDBI. The decision of SIDBI for grant of such advance increments or otherwise, as also the date of grant of such advance increments, shall be final and binding on the candidate and no correspondence in this regard shall be entertained.

<u>परिवीक्षा और तैनाती / स्थानांतरण</u> - चयनित अभ्यर्थी 2 साल की अवधि के लिए परिवीक्षा पर होंगे। इस अवधि को सिडबी के विवेक पर अधिकतम 4 साल तक के लिए बढ़ाया जा सकता है। चयनित अभ्यर्थियों को समय-समय पर सिडबी के विवेक पर और सिडबी द्वारा तय किए गए नियमों और शर्तों के अनुसार, सिडबी के विभिन्न कार्यालयों/ उद्धागों/ सहयोगी / सहायक कंपनियों में तैनात/ स्थानांतरित किया जाएगा।

<u>Probation and posting / transfer</u>: The selected candidates would be on probation for a period of 2 years which is extendable up to maximum 4 years at the discretion of SIDBI. The selected candidates will be liable to be posted / transferred at discretion of SIDBI to various offices / verticals / associates / subsidiaries of SIDBI from time to time and on such terms and conditions as may be decided by SIDBI.

2. <u>आरक्षण / छूट / रियायतें</u> / <u>Reservations / Relaxations / Concessions</u>:

i. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/ईडब्ल्यूएस/पीडब्ल्यूबीडी अभ्यर्थियों को भारत सरकार द्वारा जारी मौजूदा दिशानिर्देशों के अनुसार आरक्षण/छूट/रियायतें दी जाएंगी।

Reservations / Relaxations / Concessions would be given to SC / ST / OBC / EWS / PwBD candidates as per extant guidelines issued by the Government of India.

<u>बेंचमार्क विकलांग व्यक्तियों के लिए आरक्षण (PwBD)</u>

"विकलांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम, 2016" की धारा 34 के तहत, <u>बेंचमार्क विकलांग व्यक्ति आरक्षण</u> के लिए पात्र होंगे। इस पद को विकलांगों की श्रेणियों के तहत व्यक्तियों के लिए उपयुक्त माना गया है जैसा कि आरपीडब्ल्यूडी अधिनियम 2016 की अनुसूची में परिभाषित किया गया है और समय-समय पर विकलांग

व्यक्तियों के सशक्तिकरण विभाग (दिव्यांगजन) द्वारा अधिसूचित किया गया है।

ii. Reservation for Persons with Benchmark Disabilities (PwBD): Under section 34 of 'The Rights of Persons with Disabilities Act, 2016', persons with benchmark disabilities are eligible for Reservation. The post is identified as suitable for the Persons under categories of disabilities as defined in the Schedule of RPWD Act 2016 and notified by the Department of Empowerment of Persons with Disabilities (Divyangjan) from time to time.

A. ऑर्थोपेडिक रूप से चुनौती वाले वर्ग: "ओसी" वर्ग:

A. सेरेब्रल पाल्सी, ठीक हुआ कुष्ठ रोग, बौनापन, मस्कुलो इस्क्लेटिल या तंत्रिका तंत्र या दोनों के परिणामस्वरूप स्वयं के और वस्तुओं के परिचालन से जुड़ी विशिष्ट गतिविधियों को निष्पादित करने में असमर्थ व्यक्ति अथवा तेजाब आक्रमण के शिकार व्यक्ति। ऑर्थोपेडिक रूप से बाधित व्यक्तियों को निम्नलिखित बेंचमार्क के साथ लोकोमोटर विकलांगता के तहत कवर किया जाता है:

A. Orthopedically challenged "OC" category: A person's inability to execute distinctive activities associated with movement of self and objects resulting from affliction of musculoskeletal or nervous system or both, including Cerebral Palsy, Leprosy Cured, Dwarfism, Muscular Dystrophy and Acid Attack Victims. Orthopedically challenged persons are covered under locomotor disability with following benchmark:

a. ओए -एक भुजा प्रभावित (दाहिनी या बाईं)
OA - One arm affected (Right or Left)

b. एक पैर प्रभावित (दाहिनी या बाईं)
OL - One leg affected (Right or Left)

c. ओ ए एल - एक भुजा और एक पैर प्रभावित
OAL - One arm & One Leg affected

d. बीएल - दोनों पैर प्रभावित लेकिन भुजा नहीं
BL - Both legs affected but not arms

ओए और ओएएल श्रेणी वाले व्यक्तिय सामान्यतः दोनों हाथों से कार्य करने में सक्षम होने चाहिए।

Persons with OA and OAL category should have normal bilateral hand functions.

1) सेरेब्रल पाल्सी" का अर्थ शरीर की गतिविधियों और मांसपेशियों के समन्वय को प्रभावित करने वाली गैर-प्रगतिशील न्यूरोलॉजिकल स्थितियों का एक समूह है, जो मस्तिष्क के एक या अधिक विशिष्ट क्षेत्रों को नुकसान पहुंचाता है, जो आमतौर पर जन्म से पहले, उसके दौरान या उसके तुरंत बाद होता है;"

"Cerebral Palsy" means a group of non - progressive neurological conditions affecting body movements and muscle coordination, caused by damage to one or more specific areas of the brain, usually occurring before, during or shortly after birth.

2) **(i)** "कुष्ठ रोग से ठीक हो चुके व्यक्ति" का अर्थ है एक व्यक्ति जो कुष्ठ रोग से ठीक हो चुका है लेकिन निम्न से पीड़ित है:
   "Leprosy cured person" means a person who has been cured of leprosy but is suffering from:

a.(क) हाथों या पैरों में संवेदना की हानि के साथ-साथ आंख और पलक में संवेदना और पैरेसिस की हानि लेकिन कोई प्रकट विकृति नहीं है;

b. Loss of sensation in hands or feet as well as loss of sensation and paresis in the eye and eye - lid but with no manifest deformity;

c.प्रकट विकृति और पैरेसिस लेकिन उनके हाथों और पैरों में पर्याप्त गतिशीलता होना ताकि वे सामान्य आर्थिक गतिविधियाँ कर सकें;

Manifest deformity and paresis but having sufficient mobility in their hands and feet to enable them to engage in normal economic activity;

d. (ग) अत्यधिक शारीरिक विकृति के साथ-साथ बढ़ती आयु जो व्यक्ति को कोई लाभप्रद व्यवसाय करने से रोकती है, और अभिव्यक्ति "कुष्ठ रोगमुक्त" का अर्थ तदनुसार लगाया जाएगा;

e. Extreme physical deformity as well as advanced age which prevents him / her from undertaking any gainful occupation, and the expression "leprosy cured" shall be construed accordingly;

3) बौनापन" का अर्थ एक चिकित्सकीय या आनुवंशिक स्थिति है जिसके परिणामस्वरूप वयस्क का की लंबाई 4 फीट 10 इंच (147 सेंटीमीटर) या उससे कम होती है;"
   "Dwarfism" means a medical or genetic condition resulting in an adult height of 4 feet 10 inches (147 centimetres) or less.
4) मस्कुलर डिस्ट्रॉफी" का अर्थ वंशानुगत आनुवंशिक मांसपेशियों की बीमारी का एक समूह है जो मानव शरीर को स्थानांतरित करने वाली मांसपेशियों को कमजोर करता है। डिस्ट्रोफी वाले व्यक्तियों के जीन में जानकारी त्रुटिपूर्ण और अनुपलब्ध होती है, जो उन्हें स्वस्थ मांसपेशियों के लिए आवश्यक प्रोटीन का निर्माण नहीं करने देती। कंकाल की मांसपेशियों की प्रगामी कमजोरी, मांसपेशियों के प्रोटीन में दोष और मांसपेशियों की कोशिकाओं और ऊतकों का मृत होना इसके लक्षण हैं।
5) “Muscular dystrophy" means a group of hereditary genetic muscle disease that weakens the muscles that move the human body and persons with multiple dystrophy have incorrect and missing information in their genes, which prevents them from making the proteins they need for healthy muscles. It is characterized by progressive skeletal muscle weakness, defects in muscle proteins, and the death of muscle cells and tissue.
6) एसिड अटैक पीड़ित" का अर्थ है तेजाब या इसी तरह के संक्षारक पदार्थ के द्वारा किए गए हिंसक हमलों के कारण विकृत व्यक्ति।"
   "Acid attack victims" means a person disfigured due to violent assaults by throwing of acid or similar corrosive substance.

B. दृष्टिबाधिता ("वीआई " श्रेणी): केवल वे दृष्टिबाधित (VI) व्यक्ति जो सर्वोत्तम सुधार के बाद, निम्नलिखित में से किसी एक स्थिति से पीड़ित हैं, आवेदन करने के लिए पात्र होंगे।

Visual Impairment ("VI" Category): Only those Visually Impaired (VI) persons who suffer from any one of the following conditions, after best correction, are eligible to apply.

i. अंधापन: /Blindness:

a. पूर्ण दृष्टिबाधिता : या
Total absence of sight OR

b. सर्वोत्तम सुधारात्मक लेंस से भी बेहतर आँख की दृष्टिक्षमता 3/60 से कम अथवा 10/200 (स्नेलेन) से कम हो; अथवा
Visual acuity less than 3 / 60 or less than 10 / 200 (Snellen) in the better eye with best possible correction OR

c. दृष्टि -क्षेत्र की बाधिता 10 डिग्री या उससे भी कम सबटेंडिंग कोण वाली हो
Limitation of the field of vision subtending an angle of less than 10 degree

या /OR

ii. अल्प दृष्टि वाला व्यक्ति : Low Vision:

a. बेहतर आंख में सर्वोत्तम संभव सुधार के साथ; दृश्य तीक्ष्णता 6/18 से अधिक या 20/60 से कम 3/60 तक या 10/200 (स्नेलन) तक या

Visual acuity not exceeding 6 / 18 or less than 20 / 60 upto 3 / 60 or upto 10/200 (Snellen) in the better eye with best possible corrections OR

b. दृष्टि के क्षेत्र की सीमा 40 डिग्री से कम के कोण को 10 डिग्री तक सीमित हो।
Limitation of the field of vision subtending an angle of less than 40 degree up to 10 degree.

A. श्रवण बाधित ("एच आई" वर्ग): Hearing Impaired ("HI" Category):

i. **बधिर :** इसका अर्थ है कि दोनों कानों में श्रवण आवृत्तियों में 70 डीबी श्रवण-हानि वाले व्यक्ति।
Deaf means person having 70 DB hearing loss in speech frequencies in both ears.

ii. **श्रवण बाधिता** का अर्थ है दोनों कानों में भाषण आवृत्तियों में 60 डीबी से 70 डीबी श्रवण हानि वाले व्यक्ति।

iii. Hard of Hearing means person having 60 DB to 70 DB hearing loss in speech frequencies in both ears.

C. "आईडी" श्रेणी: केवल वे व्यक्ति, जो निम्नलिखित प्रकार की विकलांगताओं में से किसी एक से पीड़ित हैं, वे इस श्रेणी के तहत आवेदन करने के लिए पात्र हैं:

A. "ID" Category: Only those persons, who suffer from any one of the following types of disabilities, are eligible to apply under this category:

D. बौद्धिक विकलांगता:

i. ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर (एएसडी) का अर्थ है ऐसी न्यूरो-विकासात्मक स्थिति जो सामान्यत: जीवन के पहले तीन वर्षों में दिखाई देती है और जो किसी व्यक्ति की संवाद करने, रिश्तों को समझने और दूसरों से संबंधित करने की क्षमता को प्रभावित करती है, और अक्सर असामान्य या पारंपरिक संस्कारों या व्यवहारों

से जुड़ी होती है।

Autism Spectrum disorder (ASD) means a neuro - developmental condition typically appearing in the first three years of life that significantly affects a person's ability to communicate, understand relationships and relate to others, and is frequently associated with unusual or stereotypical rituals or behaviors.

ii. "मानसिक बीमारी" (एमआई) का अर्थ है सोच, मनोदशा, धारणा, अभिविन्यास या स्मृति का ऐसा विकार जो निर्णय, व्यवहार, वास्तविकता को पहचानने की क्षमता या जीवन की सामान्य मांगों को पूरा करने की क्षमता को पूरी तरह से बाधित करता है, लेकिन इसमें मंदता, जो किसी व्यक्ति के मस्तिष्क के अधूरे विकास की स्थिति है, विशेष रूप से बुद्धि की आसामान्यता, शामिल नहीं है।

iii. "Mental Illness" (MI) means a substantial disorder of thinking, mood, perception, orientation or memory that grossly impairs judgment, behaviour, capacity to recognize reality or ability to meet the ordinary demands of life, but does not include retardation which is a condition of arrested or incomplete development of mind of a person, specially characterized by sub normality of intelligence.

A. **"एकाधिक विकलांगता"** का अर्थ है खंड "ए", "बी", "सी", "डी (आई)" के बीच की कई विकलांगताएं। "Multiple Disabilities" means multiple disabilities amongst clause "A", "B", "C", "D(i)".

नोट: केवल बेंचमार्क विकलांगता वाले व्यक्ति ही आरक्षण के लिए पात्र होंगे। "बेंचमार्क विकलांगता" का अर्थ है कि निर्दिष्ट विकलांगता 40% से कम नहीं हो, जहां निर्दिष्ट विकलांगता को मापने योग्य मानदंडों में परिभाषित न किया गया हो, और इसमें विकलांगता वाले वे व्यक्ति भी शामिल हैं, जहां विकलांगता को मापने योग्य मापदण्डों में प्रमाणकर्ता प्राधिकारी द्वारा प्रमाणित किया गया हो।

Note: Only those persons with benchmark disabilities would be eligible for reservation. "Benchmark disability" means a person with not less than 40% of a specified disability where specified disability has not been defined in measurable terms and includes the persons with disability, where disability has been defined in a measurable term, as certified by the certifying authority.

- जो व्यक्ति आरक्षण का लाभ उठाना चाहता है, उसे भारत सरकार के दिशानिर्देशों के अनुसार सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी विकलांगता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। ऐसा प्रमाण पत्र सत्यापन/ पुन: सत्यापन के अधीन होगा जैसा कि सक्षम प्राधिकारी द्वारा तय किया जा सकता है।
- A person who wants to avail benefit of reservation will have to submit a disability certificate issued by a Competent Authority as per Government of India guidelines. Such certificate will be subject to verification / re - verification as may be decided by the competent authority.
- बेंचमार्क विकलांग व्यक्तियों के लिए आरक्षित रिक्तियों का आवंटन "विकलांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम, 2016" में निर्धारित और सिडबी द्वारा तय किए गए अनुसार होगा।
- The allocation of reserved vacancies for the persons with benchmark disabilities will be as prescribed in the "The Rights of Persons with Disabilities Act, 2016" and as decided by SIDBI.

- **पीडबल्यूबीडी अभ्यर्थियों के पास सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी किए गए निर्धारित प्रारूप में हाल ही का विकलांगता प्रमाण पत्र होना चाहिए। विकलांगता प्रमाण पत्र जारी करने के लिए मेडिकल बोर्ड**

सक्षम प्राधिकारी होगा जिसका विधिवत गठन केंद्र या राज्य सरकार द्वारा किया जाएगा। केंद्र/राज्य सरकार कम से कम 3 सदस्यों से मिलकर मेडिकल बोर्ड (बोर्डों) का गठन कर सकती है, जिसमें से कम से कम एक लोकोमोटर / सेरेब्रल / दृश्य / श्रवण विकलांगता या किसी अन्य विकलांगता का आकलन करने के लिए विशेष क्षेत्र में विशेषज्ञ होगा। इस तरह के लाभों का दावा करने वाले अभ्यर्थियों को साक्षात्कार के समय / प्रक्रिया के किसी भी चरण में अपने दावे के समर्थन में मूल रूप से प्रमाण पत्र (सक्षम प्राधिकारी द्वारा इस विज्ञापन के अंत में उपलब्ध निर्धारित प्रारूप में ऑनलाइन आवेदन प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि पर या उससे पहले जारी) प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। पीडबल्यूबीडी के लिए आरक्षण को समवर्ती आरक्षण कहा जाता है और इन्हें प्रासंगिक आरक्षण रोस्टर में आने वालों की संख्या के प्रति समायोजित किया जाएगा। विकलांगता प्रमाण पत्र का प्रारूप सिडबी की वेबसाइट पर उपलब्ध है।

- **The PwBD candidates should possess a recent disability certificate, in the prescribed format, issued by the competent authority. The competent authority to issue disability certificate shall be a Medical Board duly constituted by the Central or a State Government. The Central / State Government may constitute Medical Board (s) consisting of at least 3 members out of which at least one shall be a specialist in the particular field for assessing locomotor / cerebral / visual / hearing disability or any other disability as the case may be. Candidates claiming such benefits should produce certificate in original (issued by the Competent Authority on or before the last date of online submission of application in the prescribed format available at the end of this advertisement) in support of their claim at the time of Interview / at any stage of the process. Reservation for PwBD is called horizontal reservations and these will be adjusted against the number of incumbents in the relevant reservation roster. The format of the disability certificate is available on SIDBI's website.**
- **लेखक का उपयोग करने वाले विकलांग व्यक्तियों के लिए दिशानिर्देश (केवल लिखित परीक्षा के मामले में लागू)**

<u>Guidelines for Persons with Disabilities using a Scribe</u> (Applicable only in case the online written examination is conducted)

(A) दृष्टिबाधित अभ्यर्थियों और अभ्यर्थियों जिनकी लिखने की गति किसी भी कारण से स्थायी रूप से प्रतिकूल रूप से प्रभावित होती है, वे ऑनलाइन परीक्षा के दौरान अपने व्यय पर नीचे (ii) पर दी गई सीमा के अधीन अपने लेखक का उपयोग कर सकते हैं। ऐसे सभी मामलों में जहां लेखक का उपयोग किया जाता है, निम्नलिखित नियम लागू होंगे:

The visually impaired candidates and candidates whose writing speed is adversely affected permanently for any reason can use their own scribe at their cost during the online examination, subject to limits as in (ii) below. In all such cases where a scribe is used, the following rules will apply:

a. अभ्यर्थी को अपने स्वयं के खर्च पर अपने स्वयं के लेखक की व्यवस्था करनी होगी। The candidate will have to arrange his/her own scribe at his/her own cost.

b. अभ्यर्थी द्वारा व्यवस्था किए गए लेखक उसी परीक्षा के लिए अभ्यर्थी नहीं होने चाहिए। यदि प्रक्रिया के किसी भी चरण में उपरोक्त का उल्लंघन पाया जाता है, तो अभ्यर्थी और लेखक दोनों की उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी। परीक्षा में लेखक की सेवाओं का उपयोग करने के इच्छुक और पात्र अभ्यर्थी को

ऑनलाइन आवेदन पत्र में इसे सावधानीपूर्वक इंगित करना चाहिए। बाद में प्राप्त किसी भी अनुरोध पर विचार नहीं किया जाएगा।

The scribe arranged by the candidate should not be a candidate for the same examination. If violation of the above is detected at any stage of the process, candidature of both the candidate and the scribe will be cancelled. Candidates eligible for and who wish to use the services of a scribe in the examination should invariably carefully indicate the same in the online application form. Any subsequent request will not be entertained.

c. अभ्यर्थी के लिए लेखक के रूप में कार्य करने वाला व्यक्ति दूसरे अभ्यर्थी के लिए लेखक नहीं हो सकता है।

A person acting as a scribe for one candidate cannot be a scribe for another candidate.

d. लेखक किसी भी शैक्षणिक धारा का हो सकता है। हालांकि, "सामान्य" के अलावा अन्य विषयों में पदों के लिए, लेखक को पद के लिए निर्धारित शैक्षणिक स्ट्रीम से अलग होना चाहिए।

The scribe may be from any academic stream. However, for posts in disciplines other than "General", the scribe should be from an academic stream different from that prescribed for the post.

e अभ्यर्थी और साथ ही लेखक दोनों को एक उपयुक्त वचनपत्र देना होगा जो पुष्टि करता है कि लेखक ऊपर वर्णित एक लेखक के लिए सभी निर्धारित पात्रता मानदंडों को पूरा करता है। इसके अलावा यदि बाद में यह पता चलता है कि उसने किसी निर्धारित पात्रता मानदंड को पूरा नहीं किया है या महत्वपूर्ण तथ्यों को छुपाया है, तो ऑनलाइन परीक्षा और साक्षात्कार / अंतिम परिणाम के बावजूद, अभ्यर्थी की उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी।

Both the candidate as well as scribe will have to give a suitable undertaking confirming that the scribe fulfils all the stipulated eligibility criteria for a scribe mentioned above. Further in case it later transpires that he/she did not fulfil any laid down eligibility criteria or suppressed material facts the candidature of the applicant will stand cancelled, irrespective of the result of the online examination and interview / final result.

e. वे अभ्यर्थी जो लेखक का उपयोग करते हैं, परीक्षा के प्रत्येक घंटे के लिए या अन्यथा परामर्श के अनुसार 20 मिनट के प्रतिपूरक समय के लिए पात्र होंगे।

Those candidates who use a scribe shall be eligible for compensatory time of 20 minutes for every hour of the examination or as otherwise advised.

g. लेखक को स्वयं उत्तर नहीं देना चाहिए। इस तरह के किसी भी व्यवहार को देखने पर उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी।

Scribe should not answer on his/her own. Any such behaviour observed will result in cancellation of candidature.

h. प्रतिपूरक समय के लिए केवल पंजीकृत अभ्यर्थियों को ही छूट की अनुमति दी जाएगी क्योंकि अभ्यर्थियों को दिया गया प्रतिपूरक समय सिस्टम आधारित होगा। परीक्षा आयोजित करने वाली एजेंसी के लिए किसी को ऐसे समय की अनुमति देना संभव नहीं होगा यदि वह इसके लिए

पंजीकृत नहीं है। प्रतिपूरक समय के लिए पंजीकृत नहीं किए गए अभ्यर्थियों को ऐसी रियायतों की अनुमति नहीं दी जाएगी।

Only candidates registered for compensatory time will be allowed such concessions since compensatory time given to candidates shall be system based, it shall not be possible for the test conducting agency to allow such time if he / she is not registered for the same. Candidates not registered for compensatory time shall not be allowed such concessions.

- **i.** अभ्यर्थियों को केवल तभी लेखक / प्रतिपूरक समय का उपयोग करने का विकल्प चुनना चाहिए जब वे इस संबंध में आरपीडब्ल्यूडी अधिनियम, 2016 के तहत भारत सरकार के नियमों और दिशानिर्देशों के अनुसार इन सेवाओं / रियायतों का लाभ उठाने के लिए पात्र हों।

The candidate should opt for using scribe/ compensatory time only if they are eligible for availing these services/concessions as per the rules and guidelines of Government of India under RPWD Act, 2016 in this regard.

i. लेखक को भारत सरकार, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, विकलांगता मामलों के विभाग, नई दिल्ली के कार्यालय ज्ञापन एफ.नंबर 16-110/2003-डीडीआईआईआई दिनांक 26 फरवरी, 2013 के तहत जारी दिशानिर्देशों के अनुसार उपयोग करने की अनुमति दी जाएगी।

The scribe will be allowed to be used as per the guidelines issued vide Office Memorandum F.No.16-110/2003-DDIII dated February 26, 2013 of Government of India, Ministry of Social Justice and Empowerment, Department of Disability Affairs, New Delhi.

k. परीक्षा के दौरान, किसी भी समय यदि यह पाया जाता है कि लेखक स्वतंत्र रूप से प्रश्नों का उत्तर दे रहा है, तो परीक्षा सत्र समाप्त कर दिया जाएगा और अभ्यर्थी की उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी। एक लेखक की सेवाओं का उपयोग करने वाले ऐसे अभ्यर्थियों की उम्मीदवारी को भी रद्द कर दिया जाएगा यदि यह परीक्षण प्रशासक कर्मियों द्वारा परीक्षा के बाद रिपोर्ट किया जाता है कि लेखक ने स्वतंत्र रूप से सवालों के जवाब दिए।

During the exam, at any stage, if it is found that scribe is independently answering the questions, the exam session will be terminated and candidate's candidature will be cancelled. The candidature of such candidates using the services of a scribe will also be cancelled if it is reported after the examination by the test administrator personnel that the scribe independently answered the questions.

l. दिनांक 10.08.2022 के ओएम-F.No 29-6/2019-डीडी-III के अनुसार लेखक का लाभ उठाने वाले उम्मीदवारों के लिए, ऑनलाइन परीक्षा के समय परिशिष्ट-1 के रूप में प्रोफार्मा के अनुसार सरकारी स्वास्थ्य सेवा संस्थान के सक्षम चिकित्सा प्राधिकरण से इस आशय का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर ही लेखक सुविधा की अनुमति दी जाएगी कि संबंधित व्यक्ति लिखने में असमर्थ है और उसकी ओर से लेखक का परीक्षा लिखना आवश्यक है। ऐसे उम्मीदवारों को आवेदन पत्र भरते समय अपना प्रमाण पत्र भी अपलोड करना होगा।

For candidates availing scribe in accordance with **OM–F.No. 29-6/2019-DD-III dated 10.08.2022**, shall be allowed scribe facility subject to production of a certificate at the time of online examination to the effect that person concerned has limitation to write

and that scribe is essential to write examination on his/her behalf from competent medical authority of a Government healthcare institution as per proforma **as Appendix-I.** Such candidates shall also, upload their certificate while filling the application form.

(B) लोकोमोटर विकलांगता और सेरेब्रल पाल्सी वाले अभ्यर्थियों के लिए दिशानिर्देश

उन गतिक अक्षमता लोकोमोटर डिसैबिलिटी और सेरेब्रल पाल्सी वाले अभ्यर्थियों को क्षतिपूरक 20 मिनट अथवा अन्यथा सूचित किए गए अनुसारक्षतिपूरक समयावधि की अनुमति होगी जहां प्रभावशाली (लेखन) इतनी अधिक सीमा तक प्रभावी होता हो की कार्य-निष्पादन (न्यूनतम 40 % हानि) तक धीमा हो जाता हो ।

Guidelines for Candidates with Locomotor Disability and Cerebral Palsy

A compensatory time of 20 minutes for every hour or otherwise advised shall be permitted for the candidates with locomotor disability and cerebral palsy where dominant (writing) extremity is affected to the extent of slowing the performance of function (minimum of 40% impairment).

(C) दृष्टि बाधित अभ्यर्थियों हेतु दिशा निर्देश

Guidelines for Visually Impaired Candidates

- ✓ दृष्टि बाधित अभ्यर्थी (जिनकी अक्षमता 40% से कम न हो) वे परीक्षा की सामग्री को आवर्धित फ़ॉन्ट में देखने का विकल्प चुन सकते हैं और ऐसे सभी अभ्यर्थी परीक्षा के प्रति घंटे के लिए 20 मिनट के प्रतिपूरक समय के लिए अथवा जैसा सूचित किया जाए समय के लिए पात्र होंगे।
- ✓ Visually Impaired candidates (who suffer from not less than 40% of disability) may opt to view the contents of the test in magnified font and all such candidates will be eligible for compensatory time of 20 minutes for every hour or otherwise advised of examination.
- ✓ टेस्ट की सामग्री को आवर्धक फ़ॉन्ट में देखने की सुविधा दृष्टिबाधित अभ्यर्थियों को उपलब्ध होगी।
- ✓ The facility of viewing the contents of the test in magnifying font will be available to Visually Impaired candidates.
- ✓ **नोट:** केवल बेंचमार्क विकलांग व्यक्ति ही आरक्षण के लिए पात्र होंगे। "बेंचमार्क विकलांगता" का अर्थ एक निर्दिष्ट विकलांगता के 40% से कम नहीं है, जहां निर्दिष्ट विकलांगता को मापने योग्य शर्तों में परिभाषित नहीं किया गया है और इसमें विकलांगता वाले वे व्यक्ति शामिल हैं, जहां विकलांगता को मापने योग्य अवधि में परिभाषित किया गया है, जैसा कि प्रमाणित करने वाले प्राधिकारी द्वारा सत्यापित किया गया है। एक व्यक्ति जो आरक्षण का लाभ उठाना चाहता है, उसे भारत सरकार के दिशा-निर्देशों के अनुसार सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी विकलांगता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। ऐसा प्रमाण पत्र सत्यापन / पुन: सत्यापन के अधीन होगा जैसा कि सक्षम प्राधिकारी द्वारा तय किया जाए।

Note: Only those persons with benchmark disabilities would be eligible for reservation. “Benchmark disability” means a person with not less than 40% of a specified disability where specified disability has not been defined in measurable terms and includes the persons with disability, where disability has been defined in a measurable term, as certified by the certifying authority. A person who wants to avail benefit of reservation will have to submit a disability certificate issued by a Competent Authority as per Government of India

guidelines. Such certificate will be subject to verification/ re-verification as may be decided by the competent authority.

ये दिशा-निर्देश भारत सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए दिशानिर्देशों/स्पष्टीकरणों, (यदि कोई हों), के अनुसार परिवर्तित किए जा सकते हैं।

These guidelines are subject to change in terms of GoI guidelines/ clarifications, if any, from time to time.

स्क्राइब और प्रतिपूरक समय का उपयोग (40% से कम विकलांगता वाले व्यक्ति) (ओएम-एफ नंबर 29-6/2019-डीडी-III दिनांक 10.08.2022): पीडब्ल्यूबीडी उम्मीदवारों (जिनके पास 40% या उससे अधिक की विकलांगता है) पर लागू निर्देश के अलावा, निम्नलिखित नियम पीडब्ल्यूडी अधिनियम 2016 की धारा 2 (एस) की परिभाषा के तहत शामिल निर्दिष्ट विकलांग व्यक्तियों के लिए लागू होंगे, जो उक्त अधिनियम की धारा 2 (आर) की परिभाषा के तहत शामिल नहीं हैं, यानी 40% से कम विकलांगता वाले व्यक्ति जिन्हें लिखने में कठिनाई हो:
ए. लेखक और/या प्रतिपूरक समय की सुविधा केवल उन लोगों को दी जाएगी जिन्हें लिखने में कठिनाई है, बशर्ते वे परिशिष्ट-I में दिए गए प्रोफार्मा के अनुसार सरकारी स्वास्थ्य सेवा संस्थान के सक्षम चिकित्सा प्राधिकारी से इस आशय का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करें कि संबंधित व्यक्ति की लेखन क्षमता बाधित है और उनके लिए लेखक को उनकी ओर से परीक्षा लिखना आवश्यक है।
बी. लेखक की योग्यता परीक्षा देने वाले उम्मीदवार की योग्यता से एक स्तर कम होनी चाहिए। अपने लेखक का चयन करने वाले व्यक्ति को परिशिष्ट-II में प्रोफार्मा के अनुसार अपने स्क्राइब का विवरण प्रस्तुत करना होगा।

Use of Scribe & Compensatory time (persons having less than 40% disability) (OM–F. No. 29-6/2019-DD-III dated 10.08.2022): In addition to instruction applicable to PwBD candidates (who have disability of 40% or more) following rule will apply for persons with specified disabilities covered under the definition of section 2(s) of the RPwD Act 2016 but not covered under the definition of Section 2 (r) of the said Act, i.e. persons having less than 40% disability and having difficulty in writing:

A. The facility of scribe and / or compensatory time shall be granted solely to those having difficulty in writing subject to production of a certificate to the effect that person concerned has limitation to write and that scribe is essential to write examination on his / her behalf from the competent medical authority of a Government healthcare institution as per proforma at Appendix-I.
B. The qualification of the scribe should be one step below the qualification of the candidate taking the examination. The person opting for own scribe should submit details of the own scribe as per proforma at Appendix-II.

आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए आरक्षण

iii. **Reservation for EWS (Economically Weaker Section):**

(क) ऐसे व्यक्ति जो अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण की मौजूदा योजना के अंतर्गत शामिल नहीं हैं और जिनके परिवार की सकल वाषक आय `8.00 लाख रुपये (केवल आठ लाख रुपये) से कम है, उन्हें आरक्षण के लाभ के लिए आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के रूप में चिन्हित किया जाना है।

a. Persons who are not covered under the existing scheme of reservations to the Scheduled

Castes, the Schedule Tribes and the Other Backward Classes and whose family has gross annual income below `8 lakh (Rupees Eight lakh only) are to be identified as EWSs for benefit of reservation.

(ख) आय में सभी स्रोतों से आय शामिल होगी अर्थात वेतन, कृषि, व्यवसाय, जीविका आदि और यह आवेदन के वर्ष से पहले के वित्तीय वर्ष के लिए आय होगी। इसके अलावा जिन व्यक्तियों के परिवार के पास निम्नलिखित में से कोई भी संपत्ति है उन्हें परिवार की आय के बावजूद आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के रूप में चिन्हांकित होने से बाहर रखा जाएगा:

b. The income shall include income from all sources i.e., salary, agriculture, business, profession, etc. and it will be income for the financial year prior to the year of application. Also, persons whose family owns or possesses any of the following assets shall be excluded from being identified as EWSs, irrespective of the family income:

i. 5 एकड़ या उससे अधिक की कृषि भूमि I 5 acres of Agricultural Land and above.

ii. 1000 वर्ग फुट और उससे ऊपर के आवासीय फ्लैट। Residential flat of 1000 sq.ft. and above.

iii. अधिसूचित नगर पालिकाओं में 100 वर्ग गज और उससे अधिक का आवासीय भूखंड।

iv. Residential plot of 100 sq. yards and above in notified municipalities.

v. अधिसूचित नगरपालिकाओं के अलावा अन्य क्षेत्रों में 200 वर्ग गज और उससे अधिक का आवासीय भूखंड।

vi. Residential plot of 200 sq. yards and above in areas other than the notified municipalities.

b. आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग स्थिति निर्धारित करने के लिए भूमि या संपत्ति धारण परीक्षण लागू करते समय विभिन्न स्थानों या विभिन्न स्थानों / शहरों में "परिवार" द्वारा धारित संपत्ति को जोड़ा जाएगा।

a. The property held by a "Family" in different locations or different places / cities would be clubbed while applying the land or property holding test to determine EWS status.

a. आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के तहत आरक्षण का लाभ एक सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी आय और परिसंपत्ति प्रमाण पत्र के प्रस्तुति पर लिया जा सकता है। निर्धारित प्रारूप में भारत सरकार द्वारा अधिसूचित प्राधिकारियों में से किसी एक द्वारा जारी आय और परिसंपत्ति प्रमाण पत्र को केवल आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग से संबंधित अभ्यर्थी के दावे के प्रमाण के रूप में स्वीकार किया जाएगा। दस्तावेज सत्यापन /साक्षात्कार के लिए शॉर्टलिस्ट किए गए अभ्यर्थियों को दस्तावेज सत्यापन / साक्षात्कार की प्रक्रिया के लिए उपस्थित होने के समय भारत सरकार द्वारा निर्दिष्ट अपेक्षित प्रमाण पत्र लाना होगा।

a. The benefit of reservation under EWS can be availed upon production of an Income and Asset Certificate issued by a Competent Authority. The Income and Asset Certificate issued by any one of the Authorities as notified by the Government of India in the prescribed format shall only be accepted as proof of candidate's claim as belonging to EWS. The candidates shortlisted for document verification / interview shall be required to bring the requisite certificate as specified by the Government of India at the time of appearing for the process of document verification / interview.

b. इस उद्देश्य के लिए "परिवार" शब्द में वह व्यक्ति जो आरक्षण का लाभ चाहता है, उसके माता-पिता, और 18 वर्ष से कम उम्र के भाई-बहनों के साथ-साथ उसके पति या पत्नी और 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चे शामिल होंगे।

a. The term "Family" for this purpose will include the person who seeks benefit of

reservation, his / her parents, and siblings below the age of 18 years as also his / her spouse and children below the age of 18 years.

b. इस संबंध में भारत सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए अनुदेशों का पालन किया जाएगा। The instructions issued by the Government of India in this regard from time to time shall be adhered to.

a. **अस्वीकरण: आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग रिक्तियां अस्थायी हैं और भारत सरकार के आगे के निर्देशों और किसी भी मुकदमेबाजी के परिणाम के अधीन हैं।**
ये दिशानिर्देश समय-समय पर भारत सरकार के दिशा-निर्देशों/स्पष्टीकरणों<u>Disclaimer</u>: EWS Vacancies are tentative and subject to further directives of Government of India and outcome of any litigation. These guidelines are subject to change in terms of GOI guidelines / clarifications, if any, from time to time.

   a. **यदि कोई हों, के संदर्भ में परिवर्तन के अधीन हैं।**

पात्रता मानदंड

2. Eligibility Criteria:

राष्ट्रीयता / नागरिकता
Nationality / Citizenship:

अभ्यर्थी अनिवार्य रूप से

6.1 A candidate must be either
भारत का नागरिक होना चाहिए या

(i) a citizen of India or
नेपाल का नागरिक होना चाहिए या

(i) a subject of Nepal or
भूटान का नागरिक होना चाहिए या

(ii) a subject of Bhutan or

(iii) तिब्बत का ऐसा शरणार्थी होना चाहिए ,जो (1 जनवरी ,1962 के पहले) भारत में स्थायी रुप से निवास करने के इरादे से भारत आया हो या

(iv) a Tibetan refugee (who came over to India before 1st January1962) with the intention of permanently settling in India; or

(v) भारतीय मूल का व्यक्ति होना चाहिए जो पाकिस्तान, बर्मा, श्रीलंका, पूर्वी अफ्रीकी देशों जैसे केन्या, युगांडा, संयुक्त तंजानिया गणराज्य (पूर्व में तांगानिका और ज़ांज़ीबार), जाम्बिया, मालवी, जायरे, इथियोपिया और वियतनाम से आप्रवासित होकर भारत में स्थायी रूप से बसने के इरादे से आया हो ।

(vi) a person of Indian origin who has migrated from Pakistan, Burma, Sri Lanka, East African Countries of Kenya, Uganda, the United Republic of Tanzania (formerly Tanganyika and Zanzibar), Zambia, Malwi, Zaire, Ethiopia and Vietnam with the intention of permanently settling in India.

परंतु उपर्युक्त श्रेणियों (ii), (iii), (iv) या (v) से संबंधित अभ्यर्थी ऐसा व्यक्ति हो सकता है जिसके पक्ष में भारत

सरकार द्वारा पात्रता का प्रमाण पत्र जारी किया गया हो। जिस अभ्यर्थी के मामले में पात्रता का प्रमाणपत्र आवश्यक है, उसे सिडबी द्वारा आयोजित समूह-चर्चा साक्षात्कार में उपस्थित होने की अनुमति दी जा सकती है, लेकिन अंतिम चयन होने पर, नियुक्ति का प्रस्ताव तभी दिया जाएगा ,जब भारत सरकार द्वारा उसे आवश्यक पात्रता प्रमाण पत्र जारी कर दिया गया हो ।

Provided that a candidate belonging to categories (ii), (iii), (iv) or (v) above shall be a person in whose favour a certificate of eligibility has been issued by the Government of India. A candidate in whose case a certificate of eligibility is necessary may be admitted to the Group Discussion conducted by SIDBI but on final selection, the offer of appointment may be given only after the necessary eligibility certificates have been issued to him / her by the Government of India.

6.2 **आयु सीमा यथा 14 दिसंबर, 2022) इसे (4.3 के साथ पढ़ा जाए)**

Age Limit as on November 08, 2023 (to be read with 4.3):

न्यूनतम एवं अधिकतम आयु सीमा Minimum and maximum age limit
30 वर्ष से अधिक नहीं. (केवल वे अभ्यर्थी ही आवेदन करने के पात्र हैं जिनका जन्म 09 नवंबर 1993 से पहले नहीं हुआ हो) Not exceeding **30 years**. (candidates born not earlier than November 09, 1993 are only eligible to apply)

अधिकतम आयु सीमा में निम्नवत छूट दी जाएगी :-

6.3 Relaxation in upper age limit would be available as under:

2	अन्य पिछड़ा वर्ग (नॉन-क्रीमी लेयर) Other Backward Classes (Non - creamy layer)	3 वर्ष 3 years
3	पी डब्ल्यू बी डी [अनारक्षित/ आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग] बेंचमार्क विकलांगता वाले व्यक्ति जैसा कि "विकलांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम, 2016" के तहत परिभाषित किया गया है।	10 वर्ष 10 years
	पी डब्ल्यू बी डी (अन्य पिछड़ा वर्ग अभ्यर्थियों) (अन्य पिछड़ा वर्ग छूट के साथ संचयी) PwBD [OBC candidates] *[cumulative with OBC relaxation]*	13 वर्ष 13 years
	पी डब्ल्यू बी डी [अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थी] [अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति छूट के साथ संचयी] PwBD [SC / ST candidates] *[cumulative with SC / ST relaxation]*	15 वर्ष 15 years
4	भूतपूर्व सैनिक अभ्यर्थी (भूतपूर्व सैनिकों (केंद्रीय सिविल सेवाओं और पदों पर पुनर्नियोजन) संशोधन नियम, 2012 के प्रावधानों के अनुसार) पूर्व सैनिकों, आपातकालीन कमीशन प्राप्त अधिकारी (ईसीओ)/ शॉर्ट सेवा कमीशन प्राप्त अधिकारी सहित कमीशन प्राप्त अधिकारी, जिन्होंने कम से कम 5 साल की सैन्य सेवा की है और असाइनमेंट पूरा करने पर कार्यमुक्त कर दिये गए हों (इनमें वे भी शामिल हैं जिनका कार्य एक वर्ष के भीतर समाप्त होने वाला है) , सेवामुक्ति बर्खास्तगी अथवा दुर्व्यवहार अथवा अकुशलता अथवा शारीरिक अक्षमता के आधार पर नहीं होनी चाहिए । Ex - servicemen candidates (as per the provisions of Ex -	5 years

	Servicemen [Re - employment in Central Civil Services and Posts] Amendment Rules, 2012) Ex - Servicemen, Commissioned Officers including Emergency Commissioned Officers (ECOs) / Short Service Commissioned Officers (SSCOs) who have rendered at least 5 years military service and have been released on completion of assignment (including those whose assignment is due to be completed within one year from the last date of receipt of application) otherwise than by way of dismissal or discharge on account of misconduct or inefficiency or physical disability attributable to military service or invalidment.	
5	अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति Persons affected by 1984 riots	5 वर्ष 5 years

नोट :NOTE:

i. निर्दिष्ट अधिकतम आयु सीमा सामान्य श्रेणी के अभ्यर्थियों और आर्थिक रूप से कमजोर (ईडब्ल्यूएस) श्रेणी के अभ्यर्थियों पर लागू होती है। The maximum age limit specified is applicable to General Category candidates and Economically Weaker (EWS) Category Candidates.

ii. आयु में छूट की मांग करने वाले अभ्यर्थियों को साक्षात्कार के समय और सिडबी द्वारा आवश्यक भर्ती प्रक्रिया के किसी भी बाद के चरण में मूल / फोटोकॉपी के साथ आवश्यक प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा/ करने होंगे। Candidates seeking age relaxation will be required to submit necessary certificate (s) in original / along with photocopies at the time of Interview and at any subsequent stage of the recruitment process as required by SIDBI.

iii. अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति/ अन्य पिछड़ा वर्ग/ पीडब्ल्यूबीडी श्रेणी के अभ्यर्थियों के मामले में भारत सरकार द्वारा निर्धारित प्रारूप में सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी जाति / वर्ग प्रमाण पत्र।

iv. Caste / Category Certificate issued by competent authority in the prescribed format as stipulated by Government of India in case of SC / ST / OBC / PWBD category candidates.

v. ओबीसी श्रेणी के अभ्यर्थियों के मामले में, प्रमाण पत्र में विशेष रूप से एक खंड होना चाहिए कि अभ्यर्थी भारत सरकार के तहत सिविल पद और सेवाओं में अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण के लाभों से बाहर किए गए क्रीमी लेयर अनुभाग से संबंधित नहीं है। ओबीसी वर्ग से संबंधित लेकिन क्रीमी लेयर के तहत आने वाले अभ्यर्थी ओबीसी आरक्षण के हकदार नहीं हैं। उन्हें ऑनलाइन आवेदन पत्र में सामान्य के रूप में अपनी श्रेणी को इंगित करना चाहिए। अभ्यर्थी के पास समय-समय पर भारत सरकार के दिशानिर्देशों के अनुसार गैर-क्रीमी लेयर खंड के साथ एक वैध ओबीसी प्रमाण पत्र होना चाहिए।

vi. In case of candidates belonging to OBC category, certificate should specifically contain a clause that the candidate does not belong to creamy layer section excluded from the benefits of reservation for Other Backward Classes in Civil post & services under Government of India. **Candidates belonging to OBC category but coming under creamy layer are not entitled to OBC reservation. They should indicate their category as General in the online application form. The candidate should possess a valid OBC certificate with a Non - creamy layer clause as per the Government of India guidelines, from time to time.**

vii. यदि कोई भूतपूर्व सैनिक किसी भी सिविल रोजगार में शामिल होने से पहले विभिन्न रिक्तियों के लिए आवेदन करता है, तो वह किसी भी बाद के रोजगार के लिए पूर्व-सैनिक के रूप में आरक्षण का लाभ उठा सकता है। तथापि, इस लाभ का लाभ उठाने के लिए, एक भूतपूर्व सैनिक जैसे ही किसी सिविल रोजगार में शामिल हो जाता है, संबंधित नियोक्ता को विभिन्न रिक्तियों के लिए आवेदन के दिनांक-वार ब्यौरे के बारे में स्व-घोषणा/वचन पत्र देना चाहिए, जिनके लिए उसने प्रारंभिक सिविल रोजगार में शामिल होने से पहले आवेदन किया था। इसके अलावा, यह लाभ केवल उन रिक्तियों के संबंध में उपलब्ध होगा जो सीधी भर्ती पर भरी जाती हैं और जहां भी पूर्व सैनिक के लिए आरक्षण लागू होता है। अधिकारियों के संवर्ग में भूतपूर्व सैनिकों के लिए कोई आरक्षण नहीं है।

viii. If an ex - serviceman applies for various vacancies before joining any civil employment, he / she can avail of the benefit of reservation as ex - serviceman for any subsequent employment. However, to avail of this benefit, an ex -serviceman as soon as he / she joins any civil employment, should give self – declaration / undertaking to the concerned employer about date - wise details of application for various vacancies for which he / she had applied for before joining the initial civil employment. Further, this benefit would be available only in respect of vacancies which are filled on direct recruitment and wherever reservation is applicable to the ex - serviceman. There is no reservation for Ex - servicemen in Officers' Cadre.

ix. सरकारी दिशा-निर्देशों के अनुसार, आयु में छूट संचयी आधार पर उपलब्ध नहीं होगी सिवाय इसके कि जैसा कि ऊपर दी गई तालिका में दिया गया है, और विभागीय / कर्मचारी अभ्यर्थी के लिए 5 वर्ष तक, जैसा कि बिंदु 5.4 (iii) में वर्णित है।

x. As per Government guidelines, age relaxation will not be available on cumulative basis save and except as given in table above, and that for departmental / staff candidate (only permanent / regular employees of SIDBI) by 5 years as detailed in point 4.4(iii).

*****

अनिवार्य शैक्षणिक अर्हताएँ एवं शिक्षणेत्तर अर्हता अनुभव (यथा 28 नवंबर, 2023 तक)

6.4 Essential Educational Qualifications and Post Qualification experience (As on November 28, 2023):

पद का नाम Name of Post	स्ट्रीम Stream	शैक्षणिक योग्यता	न्यूनतम शिक्षणेत्तर अर्हता कार्य अनुभव Minimum post Educational Qualification work experience
सहायक प्रबंधक ग्रेड 'ए' – सामान्य स्ट्रीम Assistant Manager Grade 'A'	सामान्य General	**अभ्यर्थी के पास निम्नांकित में से कोई भी शैक्षणिक अर्हता होनी चाहिए:** The candidate shall possess any of the following education qualifications: 1. किसी भी विषय में किसी भी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय/ संस्थान से न्यूनतम 60% अंकों में से स्नातक डिग्री(अनु जाति/अनु जनजाति/पीडबल्यू बीड़ी आवेदकों के लिए) भारत सरकार/यूजीसी द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थानों/ विश्वविद्यालयों से 55%) Bachelor's degree in any subject from any recognized University / Institution with a minimum of 60% marks (SC / ST / PwBD applicants - 55%) in aggregate from Universities / Institutions recognized by GoI / UGC. **या** OR 2. सीए / सीएस / सीडब्ल्यूए / सीएफए / सीएमए CA / CS / CWA / CFA / CMA **या** OR 3. भारत सरकार / यूजीसी / एआईसीटीई द्वारा मान्यता प्राप्त	एमएसएमई ऋण देने के क्षेत्रों में अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों / अखिल भारतीय वित्तीय संस्थान में 2 वर्ष (व्यक्तिगत ऋण, शैक्षिक ऋण, वाहन ऋण, आवास ऋण, आदि को छोड़कर) एमएसएमई ऋण प्रदायगी के क्षेत्रों में अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों / अखिल भारतीय वित्तीय संस्थान में 2 वर्ष (व्यक्तिगत ऋण, शैक्षिक ऋण, वाहन ऋण, आवास ऋण, आदि को छोड़कर) 2 years in Scheduled Commercial Banks / All India Financial Institution in areas of MSME lending (except personal loan, educational loan, Vehicle Loan, Housing Loan, etc.) या OR एमएसएमई ऋणप्रदायगी /गैर-व्यक्तिगत ऋणप्रदायगी /कॉर्पोरेट ऋण प्रदायगी में प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण एनबीएफसी में 3 वर्ष। 3 years in

पद का नाम Name of Post	स्ट्रीम Stream	शैक्षणिक योग्यता	न्यूनतम शिक्षणेत्तर अर्हता कार्य अनुभव Minimum post Educational Qualification work experience
		विश्वविद्यालयों/संस्थानों से कुल मिलाकर न्यूनतम 60% अंकों (एससी / एसटी / पीडब्ल्यूबीडी आवेदकों - 55%) के साथ विधि में स्नातक की डिग्री/इंजीनियरिंग में स्नातक की डिग्री। Bachelor's degree in Law / Bachelors' Degree in Engineering with a minimum of 60% marks (SC / ST / PwBD applicants - 55%) in aggregate from Universities / Institutions recognized by GoI / UGC / AICTE.	systemically important NBFCs in MSME lending / Non-Individual lending / Corporate Lending.

नोट:-Note:

i. सिडबी, प्राप्त आवेदनों के आधार पर न्यूनतम- शैक्षणिक योग्यता और अंकों के प्रतिशत संबंधी पात्रता मानदंडों को बढ़ाने / अशोधित करने का अधिकार रखता है।
SIDBI reserves the right to raise / modify the eligibility criteria in minimum educational qualification, and percentage of marks depending upon the response.
अर्हता के बाद का अनुभव अधिकारियों के संवर्ग में पूर्णकालिक होना चाहिए और पात्रता निर्धारित करने के लिए निर्दिष्ट कट-ऑफ तिथि तक निर्धारित योग्यता प्राप्त करने की तारीख के बाद गिना जाएगा। संविदात्मक क्षमता/प्रशिक्षु/प्रशिक्षु में काम करने का अनुभव नहीं गिना जाएगा।
The post qualification experience should be full time in officers' cadre and will be counted after the date of acquiring the prescribed qualification up to the cut - off date specified for determining eligibility. Experience of working in a contractual capacity / trainee / apprentice shall not be counted.

ii. स्टाफ़ अभ्यर्थी (सिडबी के केवल स्थाई / नियमित कर्मचारी) भी आवेदनपत्र करने के लिए पात्र हैं, बशर्ते वे पात्रता मानदंड पूरा करते हों। उन्हें पात्रता मानदंडों के अधीन आयु में 5 वर्ष की शिथिलता तथा सामान्य भर्ती के लिए लागू आवेदनपत्र शुल्क से छूट दी जा सकती है। आयु में 5 वर्ष की यह शिथिलता उनके संबंधित अ.जा./अ.ज.जा/अन्य पिछड़ा वर्ग/विकलांग व्यक्ति श्रेणी के लिए दी जाने वाली छूट के अतिरिक्त होगी।
Staff candidates (only permanent / regular employees of SIDBI) shall also be eligible to apply for the advertised post subject to their fulfilling the eligibility criteria, for

which they may be given relaxation in age by 5 years and waiver from payment of application fee as applicable in General Recruitment. The age relaxation of 5 years shall be over and above the age relaxation already provided to their respective category i.e., SC / ST / OBC / PwBD.

iii. **प्रतिशत अंकों की गणना करने के लिए सभी सेमेस्टर(रों)/वर्ष(र्षो) में अभ्यर्थी द्वारा सभी विषयों के कुल प्राप्त किए गए अंकों को सभी विषयों के कुल अधिकतम अंकों से विभाजित किया जाएगा, जिसमें विषयों के मानद / वैकल्पिक / अतिरिक्त वैकल्पिक होने से कोई फर्क नहीं किया जाएगा, यदि कोई हों ।** यह उन विश्वविद्यालयों हेतु भी लागू होगा, जहां श्रेणी / ग्रेड का निर्णय मानद विषयों में प्राप्त अंकों के आधार पर हीता है/ किया जाता है । अभ्यर्थी को ऑनलाइन आवेदनपत्र में स्नातक/ स्नातकोत्तर में प्राप्त किए गए प्रतिशत को निकटतम दो दशमलव अंकों तक दर्शाना चाहिए । इस प्रकार निकाले गए प्रतिशत के अंश पर ध्यान नहीं दिया जाएगा अर्थात 59.99% को 60 % से कम माना जाएगा तथा 54.99% को 55 % से कम माना जाएगा ।

iv. **The percentage marks shall be arrived at by dividing the total marks obtained by the candidate in all the subjects in all semester (s) / year (s) by aggregate maximum marks in all the subjects irrespective of honors / optional / additional optional subject, if any.** This will be applicable for those Universities also where Class / Grade is decided on basis of Honors marks only. Candidate should indicate the percentage obtained in Graduation / Post - graduation, as the case may be, calculated to the nearest two decimals in the online application. The fraction of percentage so arrived will be ignored i.e., 59.99% will be treated as less than 60% and 54.99% will be treated as less than 55%.

कुछ विश्वविद्यालयों / संस्थानों द्वारा श्रेणी या अंकों के प्रतिशत नहीं दिए जाते तथा कुल ग्रेड अंक आवंटित किए जाते हैं[अर्थात सीजीपीए/ओजीपीए/सीपीआई आदि]। जहां सीजीपीए/ओजीपीए/सीपीआई आदि दिए जाते हैं, वहां पर इन्हें प्रतिशत में रूपांतरित करके ऑनलाइन आवेदनपत्र में दर्शाया जाना चाहिए । यदि विश्वविद्यालय / संस्थान कुल ग्रेड अंकों को श्रेणी तथा /अथवा अंकों के प्रतिशत में रूपांतरित करने का कोई मानदंड परिभाषित करती है, तो उसे स्वीकार किया जाएगा ।
यदि साक्षात्कार के लिए बुलाया जाता है, तो अभ्यर्थी को अन्य बातों के साथ-साथ ग्रेड को प्रतिशत में बदलने और इन मानदंडों के अनुसार अभ्यर्थी द्वारा प्राप्त अंकों के प्रतिशत के संबंध में विश्वविद्यालय के मानदंडों को बताते हुए उपयुक्त प्राधिकारी द्वारा जारी एक प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।

Some Universities / Institutes do not award Class or percentage of marks and allot Aggregate Grade Points [e.g. CGPA / OGPA / CPI, etc.]. Where CGPA / OGPA / CPI is awarded, the same should be converted into percentage as indicated in online application. In case University / Institute defines criteria for conversion of Aggregate Grade Point into Class and / or percentage of marks, the same will be accepted. If called for interview, the candidate will have to produce a certificate issued by the appropriate authority inter alia stating the norms of the University regarding conversion of grade into percentage and the percentage of marks scored by the candidate in terms of these norms.

v. तथापि, जहां पर विश्वविद्यालय / संस्थान कुल ग्रेड अंकों को श्रेणी तथा /अथवा अंकों के प्रतिशत में रूपांतरित करने का कोई मानदंड परिभाषित नहीं करती है, तो इस स्थिति में इसकी गणना निम्नवत की

जाएगी:

However, where the University / Institute does not define criteria for conversion of Aggregate Grade Point into Class and / or percentage of marks, the undefined parameter [s] would be worked out as under:

समकक्ष सीजीपीए / ओजीपीए /सीपीआई अथवा इसी प्रकार की शब्दावलियां, जो 10 अंकों की स्केल पर आवंटित की जाती हों Equivalent CGPA / OGPA / CPI or similar terminologies allotted on 10 - point scale	**श्रेणी / दर्जा Class / Division**	
6.75	I [प्रथम]I (First)	60%
6.25	II [द्वितीय]II (Second)	55%

vi. प्रदत्त कुल ग्रेड अंक अथवा अंकों का प्रतिशत से तात्पर्य पाठ्यक्रम की पूरी अवधि के दौरान प्राप्त कुल अंक है।

Aggregate Grade Point or percentage of marks where awarded would mean aggregate over the entire duration of the course.

vii. जहां कुल ग्रेड अंक [सीजीपीए/ओजीपीए/सीपीआई आदि] 10 के अलावा किसी अन्य संख्या में से दिए जाते हों, तो इसे 10 के समतुल्य परिवर्तित करते हुए, इसकी गणना उक्त मद[i] के अनुरूप की जाएगी ।

Where the Aggregate Grade Point [CGPA / OGPA / CPI, etc.] is awarded out of a number other than 10, it will be normalized out of 10 and computed as per item [v] above.

यदि किसी अभ्यर्थी ने डिप्लोमा पाठ्यक्रम पूरा कर लिया है और कुछ सेमेस्टर/वर्षों की छूट प्राप्त करके सीधे डिग्री पाठ्यक्रम के दूसरे वर्ष/सेमेस्टर में प्रवेश पा लिया है तो केवल स्नातक की डिग्री के हिस्से वाले उन सेमेस्टर/वर्षों के अंकों पर विचार किया जाएगा और न तो डिप्लोमा अंक और न ही पात्रता के लिए किसी भी छूट प्राप्त सेमेस्टर/वर्ष के अंकों पर विचार किया जाएगा। यही बात अन्य डिग्री पाठ्यक्रमों पर भी लागू होगी

In case of any candidate completed the Diploma Course and directly got entry into second year / semester in degree course by getting exemption of few semesters / years then only those semesters / years marks would be considered which are part of bachelor's degree, neither diploma marks nor any exempted semesters / years marks shall be considered for eligibility. The same shall also be applicable for other degree courses.

सभी शैक्षणिक अर्हताएँ विश्वविद्यालय अनुदान आयोग / भारत सरकार से मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालयों / संस्थानों से प्राप्त की हुई होनी चाहिए ।

All educational qualifications should have been obtained from Universities / Institutions recognized by UGC / GoI.

भर्ती-पूर्व प्रशिक्षण (पीआरटी) /Pre - Recruitment Training (PRT): भारत सरकार के दिशानिर्देशों के अनुसार, अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति / अन्य पिछड़े वर्गों के अभ्यर्थियों के लिए बैंक 10 दिनों की अवधि का प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करेगा। तदनुसार, अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति / अन्य पिछड़े वर्गों के उन इच्छुक अभ्यर्थियों के लिए भर्ती-पूर्व प्रशिक्षण आयोजित किया जाएगा, जो बैंक के पात्रता मानदंडों के अनुरूप पात्र पाए जाएँगे। प्रशिक्षण का आयोजन ऑनलाइन किया जाएगा। प्रशिक्षण कार्यक्रम का लाभ उठाने के इच्छुक अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदनपत्र पत्र भरते समय अपनी इच्छा इंगित करें। कृपया ध्यान दें कि प्रशिक्षण प्राप्त करने से किसी अभ्यर्थी को समूह चर्चा एवं साक्षात्कार के लिए बुलाए जाने या सिडबी की सेवा में भर्ती के लिए कोई अधिकार नहीं मिल जाएगा। कृपया इस पर भी ध्यान दें कि मात्र भर्ती पूर्व प्रशिक्षण में उपस्थिती से किसी अभ्यर्थी को सिडबी में चयन का अधिकार नहीं मिल जाता है।

As per GoI guidelines, Pre - recruitment training (PRT) would be conducted for SC / ST / OBC candidates for 10 days' duration. Accordingly, PRT would be conducted for willing SC / ST / OBC candidates whose applications are found eligible as per the eligibility criteria stipulated by SIDBI. PRT would be conducted Online. Candidates who desire to avail of the training programme may indicate their willingness while filling the online application form. Please note that undergoing the training will not confer any right to the candidate to be called for the Group Discussion and Interview or for recruitment in SIDBI's service. Please also note that, by merely attending the Pre - recruitment training no candidate acquires any right to be selected in SIDBI.

3. **चयन प्रक्रिया:** पद के लिए चयन प्रक्रिया नीचे बताए अनुसार **समूह चर्चा** और **साक्षात्कार** के माध्यम से होगा:
Selection Procedure: The selection process for the post would be by way of **Group Discussion** and **Interview** as detailed below:

- अभ्यर्थियों से ऑनलाइन आवेदनपत्र पत्र प्राप्त होने पर, आवेदनपत्र पत्र और अपलोड किए गए दस्तावेजों में अभ्यर्थी द्वारा घोषित किए अनुसार निर्धारित अर्हता, उपयुक्तता / अनुभव आदि के संबंध में पात्र अभ्यर्थियों को शॉर्टलिस्ट करने के लिए सिडबी द्वारा आवेदनपत्र पत्रों की प्रारंभिक स्क्रीनिंग की जाएगी। प्रारंभिक स्क्रीनिंग के बाद और दस्तावेजों के सत्यापन के बिना सभी पदों/ग्रेडों के लिए अभ्यर्थता अनंतिम होगी और मूल के साथ सत्यापन के अधीन होगी।
- Upon receipt of online applications from candidates, a preliminary screening of the applications shall be carried out by SIDBI to shortlist the eligible candidates with reference to prescribed qualification, suitability / experience, etc. as declared by the candidate in the application form and documents uploaded in support. The Candidature after preliminary screening and without verification of documents would be provisional for all Posts / Grades and would be subject to verification with the originals.

- फिर बैंक व्यक्तित्व, संप्रेषण स्तर, स्पष्टता और समस्या को सुलझाने की नवीनता, दक्षता का स्तर, देश के किसी भी हिस्से में काम करने की इच्छा, पद के लिए उपयुक्तता आदि का आकलन करने के लिए शॉर्टलिस्ट किए गए अभ्यर्थियों में से ऑनलाइन साइकोमेट्रिक टेस्ट या कोई अन्य उपयुक्त टेस्ट आयोजित करेगा। अभ्यर्थियों

पर विस्तृत दृष्टिकोण रखने के लिए परीक्षण के निष्कर्ष को साक्षात्कार पैनल के समक्ष रखा जा सकता है।

- The Bank shall then conduct online Psychometric Test or any other suitable Test to assess the personality, level of communication, clarity & problem - solving innovativeness, level of efficiency, willingness to work in any part of the country, suitability for the post, etc. of the shortlisted candidates. The finding of the test may be placed before the interview panel for having a thorough perspective on the candidates.

- साइकोमेट्रिक टेस्ट पूरा होने के बाद, अभ्यर्थियों को विभिन्न सिडबी कार्यालयों में आयोजित किए जाने वाले समूह चर्चा और साक्षात्कार में उपस्थित होने के लिए बुलाया जाएगा। अभ्यर्थी पहले समूह चर्चा के लिए उपस्थित होंगे और फिर उसी दिन साक्षात्कार के लिए उपस्थित होंगे।
- After completion of Psychometric Test, the candidates shall then be called to appear in Group Discussion and Interview, which will take place in various SIDBI Offices. The candidate shall first appear for Group Discussion and then appear for Interview on the same day.

- समूह चर्चा और साक्षात्कार के लिए अधिकतम अंक 100-100 होंगे। न्यूनतम अर्हता अंक का निर्णय बैंक द्वारा किया जाएगा। इसके अलावा, समूह चर्चा में न्यूनतम योग्यता अंक प्राप्त करने वाले केवल उन्हीं अभ्यर्थियों के साक्षात्कार के अंकों पर विचार किया जाएगा।
- The maximum marks for Group Discussion and Interview shall be 100 each. The minimum qualifying marks will be as decided by the Bank. Further, the marks in Interview of only those candidates who obtain the minimum qualifying marks in Group Discussion, would be considered for merit.

- समूह चर्चा और साक्षात्कार में अभ्यर्थी द्वारा प्राप्त संयुक्त अंकों के आधार पर अंतिम चयन किया जाएगा। यदि एक से अधिक अभ्यर्थी कट-ऑफ अंक (कट-ऑफ बिंदु पर सामान्य अंक) प्राप्त करते हैं, तो ऐसे अभ्यर्थियों को योग्यता के क्रम में अवरोही क्रम में उनकी उम्र के अनुसार रैंक दिया जाएगा। बैंक का निर्णय अभ्यर्थियों के लिए बाध्यकारी होगा और अचयनित अभ्यर्थियों को अलग से कोई संदेश नहीं भेजा जाएगा।
- Final Selection will be drawn on the basis of combined marks secured by the candidate in Group Discussion and Interview. In case more than one candidate scores the cut - off marks (common marks at cut - off point), such candidates will be ranked according to their age in descending order, in the order of merit. Bank's decision would be binding on the candidates and no separate communication will be sent to the unselected candidates.

- न्यूनतम योग्यता और अनुभव को पूरा करने मात्र से अभ्यर्थी को समूह चर्चा और/या व्यक्तिगत साक्षात्कार (पीआई) के लिए बुलाए जाने का कोई अधिकार नहीं मिल जाएगा। समूह चर्चा और/या व्यक्तिगत साक्षात्कार (पीआई) के लिए अभ्यर्थियों को बुलाने के लिए बैंक का निर्णय अंतिम होगा। इस संबंध में किसी भी पत्राचार पर विचार नहीं किया जाएगा।
- Mere fulfilling minimum qualification & experience will not vest any right in candidate being called for Group Discussion and / or Personal Interview (PI). The decision of the Bank to call the candidates for Group Discussion and / or Personal Interview (PI) shall be final. No correspondence will be entertained in this regard.

- बैंक द्वारा प्राप्त आवेदनपत्र पत्रों को उपयुक्त और उचित समझा जाने के आधार पर ऑनलाइन लिखित परीक्षा आयोजित करने का अधिकार है। ऑनलाइन परीक्षा के लिए परीक्षा केंद्रों की संभावित सूची, **यदि कोई है**, **संलग्रक I** (केवल ऑनलाइन लिखित परीक्षा आयोजित होने की स्थिति में लागू) में उपलब्ध है ।
- Bank reserves the right to conduct online written examination depending upon applications, if deem fit and proper. The tentative list of Examination centres for the Online examination, **if any**, is available **in Annexure I** *(Applicable only in case the online written examination is conducted).*

- बैंक किसी भी मानदंड, चयन की विधि और अनंतिम चयन आदि को बदलने (रद्द करने / आशोधित करने / जोड़ने) का अधिकार सुरक्षित रखता है।
- Bank reserves the right to change (cancel / modify / add) any of the criteria, method of selection and provisional selection etc.
- अभ्यर्थियों को शॉर्टलिस्ट करते समय, बैंक अतिरिक्त अर्हता (एं), अधिक अनुभव और किए गए गई उत्तरदायित्वों के स्तर पर विचार कर सकता है। इस प्रकार, केवल न्यूनतम अर्हता और अनुभव मानदंडों को पूरा करने से कोई अभ्यर्थी स्वत: समूह चर्चा और साक्षात्कार के लिए पात्र नहीं होगा और बैंक द्वारा निर्णीत मानदंडों के अनुसार समूह चर्चा और साक्षात्कार के लिए अभ्यर्थियों को शॉर्टलिस्ट करेगा और तदनुसार केवल ऐसे अभ्यर्थियों को भर्ती प्रक्रिया में भाग लेने की अनुमति दी जाएगी।
- While short listing the candidates, the Bank may consider additional qualification / s, greater experience and level of responsibilities handled. Thus, merely fulfilling minimum qualification and experience criteria would not automatically entitle a candidate for the Group Discussion & Interview and the Bank as per decided criteria shall shortlist the candidates for Group Discussion & Interview and accordingly only such candidates will be allowed to participate in recruitment process.
- बैंक अपने विवेकानुसार और/या बैंक की आवश्यकता के अनुसार चयन प्रक्रिया के लिए किसी भी संख्या में अभ्यर्थियों को बुलाने का अधिकार सुरक्षित रखता है। बैंक द्वारा तय किए गए पर्याप्त अभ्यर्थियों को उनकी अर्हता, अनुभव और चयन प्रक्रिया के लिए समग्र उपयुक्तता के आधार पर शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। सबसे उपयुक्त अभ्यर्थियों को चयन प्रक्रिया अर्थात समूह चर्चा और व्यक्तिगत साक्षात्कार के लिए बुलाया जाएगा और केवल पद के लिए आवेदन करने/पात्र होने से अभ्यर्थी को चयन प्रक्रिया के लिए बुलाए जाने का कोई अधिकार नहीं मिल जाता है।
- The Bank reserves its right to call any number of candidates for selection process at its sole discretion and / or as per the Bank's requirement. Adequate candidates as decided by the Bank will be shortlisted based on their qualification, experience and overall suitability for selection process. Most suitable candidates will be called for the selection process i.e., Group Discussion and Personal Interview and merely applying / being eligible for the post does not entitle any right to the candidate to be called for the selection process.
- केवल पात्रता/समूह चर्चा/साक्षात्कार में प्रवेश/समूह चर्चा/साक्षात्कार में उत्तीर्ण होने का अर्थ यह नहीं है कि बैंक अभ्यर्थी की पात्रता के बारे में संदेह से परे संतुष्ट है और इससे अभ्यर्थी को चयन कोई अधिकार नहीं मिलता। बैंक भर्ती प्रक्रिया के किसी भी चरण में किसी भी अभ्यर्थी की अभ्यर्थता को अस्वीकार करने के लिए स्वतंत्र होगा, यदि वह अयोग्य पाया जाता है और/या गलत या गलत जानकारी/प्रमाणपत्र/दस्तावेज प्रस्तुत करता है या किसी भी महत्वपूर्ण तथ्य को छुपाता है। अयोग्य अभ्यर्थियों द्वारा भुगतान की गई फीस को जब्त कर लिया जाएगा। यदि नियुक्त किया जाता है, तो ऐसे अभ्यर्थी को बैंक की सेवाओं से सरसरी तौर पर हटाया जा सकता है।

- Mere eligibility / admission to Group Discussions / Interview / pass in Group Discussion / interview does not imply that the Bank is satisfied beyond doubt about the candidate's eligibility and shall not vest any right in a candidate for selection. The Bank would be free to reject the candidature of any candidate at any stage of recruitment process, if he / she is found to be ineligible and / or furnished incorrect or false information / certificates / documents or has suppressed any material facts and the fees paid by the ineligible candidates shall be forfeited. If appointed, such a candidate may be summarily removed from the services of the Bank.
- समूह चर्चा और साक्षात्कार **लखनऊ, मुंबई, नई दिल्ली, चेन्नई और कोलकाता** में आयोजित किए जाएंगे। यद्यपि, बैंक किसी विशेष स्थान के लिए आवेदनपत्रों की प्राप्तियों/संख्या, प्रशासनिक व्यवहार्यता आदि के आधार पर समूह चर्चा/साक्षात्कार के लिए किसी भी स्थान को रद्द करने/जोड़ने का अधिकार सुरक्षित रखता है। अभ्यर्थियों को स्थान आवंटित करने का निर्णय पूरी तरह से बैंक के विवेक पर होगा और स्थान परिवर्तन के अनुरोध पर विचार नहीं किया जाएगा।

4. Group Discussion and Interview shall be held at **Lucknow, Mumbai, New Delhi, Chennai and Kolkata.** The Bank, however, reserves the right to cancel / add any venue for Group Discussion / Interview, depending on the response / number of applications for a particular venue, administrative feasibility, etc. The decision for allocating the venue to the candidates will be solely at the discretion of the Bank and requests for change of venue will not be entertained.

3. (i) शॉर्टलिस्ट किए गए पात्र अभ्यर्थियों को **भर्ती पूर्व प्रशिक्षण / समूह चर्चा / साक्षात्कार** के समय, तारीख और स्थान के पते के बारे में विवरण बुलावा पत्र, ई-मेल और एसएमएस के माध्यम से सूचित किया जाएगा। **बुलावा पत्र के ऑनलाइन डाउनलोड की सूचना अभ्यर्थियों को उचित समय पर भेज दी जाएगी।** अभ्यर्थियों को अपने समूह चर्चा/साक्षात्कार बुलावा पत्र को सिडबी की वेबसाइट www.sidbi.in से डाउनलोड करना होगा। अभ्यर्थियों को कोई अलग पत्राचार अर्थात डाक द्वारा या अन्यथा जारी नहीं किया जाएगा। इस संबंध में अन्य निर्देश, यदि कोई हों, भी वेबसाइट पर प्रदर्शित किए जाएंगे। बुलावा पत्र के बिना अभ्यर्थियों को भर्ती-पूर्व प्रशिक्षण/समूह चर्चा/साक्षात्कार में शामिल होने की अनुमति नहीं दी जाएगी। **इसलिए, अभ्यर्थियों को भर्ती के संबंध में जानकारी के लिए नियमित अंतराल पर सिडबी की वेबसाइट देखने के लिए सूचित किया जाता है।**

(i) The details regarding the time date and address of the venue of **the Pre - Recruitment Training / Group Discussion / Interview** to the shortlisted eligible candidates will be intimated through **Call Letters**, **E - mail and SMS. The intimation of online download of Call Letters will be sent to candidates at the appropriate time.** Candidates are required to download their Group Discussion / Interview call letter from the SIDBI's website www.sidbi.in. No separate communication i.e., either by post or otherwise would be issued to the candidates. Other instructions, if any, in this regard would also be displayed on the website. Candidates will not be allowed to appear for the Pre - Recruitment Training / Group Discussion / Interview without the Call letter. **Candidates are, therefore, advised to visit SIDBI's website at regular intervals for information regarding the recruitment.**

4. (ii) अभ्यर्थियों को अपने समूह चर्चा और साक्षात्कार का बुलावा पत्र सिडबी की वेबसाइट www.sidbi.in से डाउनलोड करना अपेक्षित है। शॉर्टलिस्ट किए गए अभ्यर्थियों को बुलावा पत्र में केंद्र, स्थान का पता, समूह चर्चा और साक्षात्कार का समय और तारीख सूचित किया जाएगा । कृपया ध्यान दें कि साक्षात्कार की तिथि,

केंद्र आदि में परिवर्तन के संबंध में किसी भी अनुरोध पर विचार नहीं किया जाएगा। तथापि, अप्रत्याशित परिस्थितियों में, यदि कोई हो, की स्थिति में, सिडबी अपने विवेक से साक्षात्कार की तिथि/स्थान/समय/केंद्र आदि को परिवर्तित करने या विशेष तिथि/सत्र/स्थल/केंद्र/अभ्यर्थियों के समूह के लिए पूरक प्रक्रिया आयोजित करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।

(i) Candidates are required to download their Group Discussion & Interview call letters from the SIDBI's website www.sidbi.in. The centre, address of the venue, time & date of Group Discussion & Interview will be informed to the shortlisted candidates in the call letter. Please note that any request regarding change in date, centre etc. of interview will not be entertained. However, SIDBI reserves the right to change the date / venue / time / centre etc. of interview or hold supplementary process for particular date / session / venue / centre / set of candidates at its discretion, under unforeseen circumstances, if any.

(i) साक्षात्कार के लिए उपस्थित होने के दौरान, अभ्यर्थियों को नीचे दिए गए वैध निर्धारित दस्तावेज प्रस्तुत करने चाहिए। दस्तावेजों के अभाव में अभ्यर्थियों की अभ्यर्थिता रद्द कर दी जाएगी। अलग से भेजे गए किसी प्रमाणपत्र/ प्रेषण/ दस्तावेज को प्राप्त करने/ कनेक्ट करने की कोई जिम्मेदारी सिडबी नहीं लेता है।

(ii) While appearing for the Group Discussion & Interview, the candidate should produce valid prescribed documents given below. In the absence of documents candidature of the candidates shall be cancelled. SIDBI takes no responsibility to receive / connect any certificate / remittance / document sent separately.

समूह चर्चा एवं साक्षात्कार के समय प्रस्तुत किए जाने वाले दस्तावेजों की सूची (जैसा लागूहो)

साक्षात्कार के समय, अभ्यर्थी द्वारा अपनी पात्रता तथा पहचान के साक्ष्य के रूप में निम्नलिखित दस्तावेज़ों की मूल तथा सत्यापित छायाप्रतियाँ प्रस्तुत करनी होंगी, ऐसा न करने पर, अभ्यर्थी को साक्षात्कार में शामिल होने के लिए अनुमति प्रदान नहीं की जाएगी। अभ्यर्थी द्वारा साक्षात्कार के समय, वांछित दस्तावेज़ प्रस्तुत न किए जाने पर, भर्ती-प्रकिया में आगे शामिल होने की उसकी अभ्यर्थता बाधित हो जाएगी।

List of Documents to be produced at the time of Group Discussion and Interview (as applicable): The following documents in original and their self - attested photocopies in support of the candidate's eligibility and identity are to be invariably submitted at the time of Group Discussion and Interview failing which the candidate may not be permitted to appear for the interview. Non - submission of requisite documents by the candidate at the time of interview will debar his candidature from further participation in the recruitment process.

1) एकाधिक पंजीकरण के मामले में, केवल अंतिम पंजीकरण ही मान्य रखा जाएगा।
In case of multiple registrations, only last registration will be kept valid.

2) शुल्क के भुगतान सहित ऑनलाइन आवेदनपत्र करने की प्रक्रिया को पूरा करने के बाद, अभ्यर्थी को सिस्टम से उत्पन्न ऑनलाइन आवेदनपत्र पत्र का एक प्रिंटआउट लेना चाहिए, यह सुनिश्चित करना चाहिए कि भरे गए विवरण सही हैं और इसे भविष्य के संदर्भ के लिए पंजीकरण संख्या और पासवर्ड के साथ सहेज कर रखें। उन्हें यह प्रिंटआउट सिडबी को नहीं भेजना चाहिए।

(i) After completing the procedure of applying online including payment of fees, the

candidate should take a printout of the system generated online application form, ensure the particulars filled in are accurate and retain it along with Registration Number and Password for future reference. They should not send this printout to the SIDBI.

3) आवेदनपत्र के सफल पंजीकरण पर उत्पन्न पंजीकरण संख्या और पासवर्ड के साथ एक ईमेल / एसएमएस सूचना ऑनलाइन आवेदनपत्र पत्र में निर्दिष्ट प्रणाली द्वारा उत्पन्न पावती के रूप में अभ्यर्थी के ईमेल आईडी / मोबाइल नंबर पर भेजी जाएगी। यदि अभ्यर्थियों को उनके द्वारा निर्दिष्ट ईमेल आईडी / मोबाइल नंबर पर ईमेल और एसएमएस की सूचना प्राप्त नहीं होती है, तो वे यह मान सकते हैं कि उनका ऑनलाइन आवेदनपत्र सफलतापूर्वक पंजीकृत नहीं हुआ है।

(i) An email / SMS intimation with the Registration Number and Password generated on successful registration of the application will be sent to the candidate's email ID / Mobile Number specified in the online application form as a system generated acknowledgement. If candidates do not receive the email and SMS intimations at the email ID / Mobile number specified by them, they may consider that their online application has not been successfully registered.

4) ऑनलाइन आवेदनों को सही ढंग से भरने का उत्तरदायित्व पूरी तरह से अभ्यर्थी का होगा। आवेदक द्वारा की गई त्रुटियों के कारण अमान्य आवेदनों के मामले में, सिडबी द्वारा इस प्रकार एकत्रित आवेदनपत्र राशि की वापसी के किसी भी दावे पर विचार नहीं किया जाएगा।

(i) Candidates shall be solely responsible for filling up the online applications correctly. In case of invalid applications due to errors committed by the applicant no claims for refund of application money so collected shall be entertained by SIDBI.

5) दृष्टिबाधित अभ्यर्थियों को आवेदनपत्र सावधानीपूर्वक भरना चाहिए और अंतिम रूप से जमा करने से पहले यह सुनिश्चित करने के लिए विवरणों को सत्यापित करना / सत्यापित करवाना चाहिए कि वे सही हैं।

(i) Visually Impaired Candidates should fill the application form carefully and verify / get the details verified to ensure that the same are correct prior to final submission.

अंतिम समय पर भीड़ से बचने के लिए, अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि वे आवेदनपत्र शुल्क का भुगतान कर जल्द से जल्द ऑनलाइन पंजीकरण करें।

To avoid last minute rush, candidates are advised to pay the application fees and register online at the earliest.

ध्यान दें: शुल्क भुगतान के बाद शुल्क विवरण सहित प्रस्तुत आवेदनपत्र को दोबारा प्रिंट करने का भी प्रावधान है।

Note: There is also a provision to reprint the submitted application containing fee details, after fee payment.

कृपया ध्यान दें कि अभ्यर्थी का नाम, श्रेणी, जन्म तिथि, पता, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, परीक्षा केंद्र सहित ऑनलाइन आवेदनपत्र में उल्लिखित सभी विवरणों को अंतिम माना जाएगा और ऑनलाइन आवेदनपत्र पत्र जमा करने के बाद किसी भी परिवर्तन / आशोधन की अनुमति नहीं दी जाएगी। इसलिए अभ्यर्थियों से अनुरोध है कि वे ऑनलाइन आवेदनपत्र को अत्यंत सावधानी से भरें क्योंकि विवरण में परिवर्तन के संबंध में किसी पत्राचार पर विचार नहीं किया जाएगा। आवेदनपत्र में गलत और अपूर्ण विवरण प्रस्तुत करने या आवेदनपत्र में आवश्यक विवरण प्रदान करने में चूक के कारण उत्पन्न होने वाले किसी भी परिणाम के लिए सिडबी उत्तरदायी नहीं होगा।

Please note that all the particulars mentioned in the online application including Name of the Candidate, Category, Date of Birth, Address, Mobile Number, Email ID, Centre of Group Discussion & Interview will be considered as final and no change / modifications will be allowed after submission of the online application form. Candidates are hence requested to fill in the online application form with the utmost care as no correspondence regarding change of details will be entertained. SIDBI will not be responsible for any consequences arising out of furnishing of incorrect and incomplete details in the application or omission to provide the required details in the application form.

b) किसी भी तरह से अधूरे ऑनलाइन आवेदनपत्र, जैसे कि ऑनलाइन आवेदनपत्र में फोटो और हस्ताक्षर अपलोड किए बिना / असफल शुल्क भुगतान को वैध नहीं माना जाएगा।

An online application which is incomplete in any respect such as without photograph and signature uploaded in the online application form/ unsuccessful fee payment will not be considered as valid.

a) अभ्यर्थियों को उनके हित में सूचित किया जाता है कि वे अंतिम तिथि से पर्याप्त समय पहले ऑनलाइन आवेदनपत्र भरें और शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि तक प्रतीक्षा न करें ताकि इंटरनेट पर भारी भार के कारण सिडबी की वेबसाइट पर वेबसाइट जाम / लॉगऑन करने में अक्षमता/असफलता/विफलता की संभावना से बचा जा सके। Candidates are advised in their own interest to apply online much before the closing date and not to wait till the last date for depositing the fee to avoid the possibility of disconnection / inability / failure to login to the SIDBI's website on account of heavy load on internet / website.

b) सिडबी उपर्युक्त कारणों से या सिडबी के नियंत्रण से परे किसी अन्य कारण से अंतिम तिथि के भीतर अपने आवेदनपत्र जमा करने में सक्षम नहीं होने के लिए कोई उत्तरदायित्व नहीं लेता है।

SIDBI does not assume any responsibility for the candidates not being able to submit their applications within the last date on account of the aforesaid reasons or for any other reason beyond the control of SIDBI.

c) कृपया ध्यान दें कि उपर्युक्त प्रक्रिया ही आवेदन करने की एकमात्र वैध प्रक्रिया है। आवेदन करने का कोई अन्य तरीका या अधूरे चरणों को स्वीकार नहीं किया जाएगा और ऐसे आवेदनपत्रों को अस्वीकार कर दिया जाएगा।

Please note that the above procedure is the only valid procedure for applying. No other mode of application or incomplete steps would be accepted, and such applications would be rejected.

d) आवेदक द्वारा अपने आवेदनपत्र में प्रस्तुत की गई कोई भी जानकारी अभ्यर्थी के लिए व्यक्तिगत रूप से बाध्यकारी होगी और यदि बाद में उसके द्वारा दी गई जानकारी/विवरण गलत पाया जाता है तो वह अभियोजन/अदालती परिणामों के लिए उत्तरदायी होगा/होगी।

Any information submitted by an applicant in his/ her application shall be binding on the candidate personally and he/she shall be liable for prosecution / civil consequences in case the information / details furnished by him / her is found to be false at a later stage.

e) ऑनलाइन आवेदनपत्र पत्र में उल्लिखित पते में परिवर्तन, या किसी अन्य विवरण में परिवर्तन के किसी भी अनुरोध पर विचार नहीं किया जाएगा। अभ्यर्थी को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उसके द्वारा सभी स्थानों पर हस्ताक्षर किए गए हैं। उसके बुलावपत्र, उपस्थिति पत्रक और भविष्य में सिडबी के साथ किए जाने वाले सभी पत्राचार में समान होना चाहिए और किसी भी प्रकार की कोई भिन्नता नहीं होनी चाहिए।

No request for change of address, or changes in any other details mentioned in the online application form will be entertained. A candidate should ensure that the signatures appended by him/her in all the places viz. in his / her call letter, attendance sheet and in all correspondences with SIDBI in future should be identical and there should be no variation of any kind.

f) ऑनलाइन आवेदनपत्र में अभ्यर्थी द्वारा हाल ही में एक पहचानने योग्य तस्वीर अपलोड की जानी चाहिए और अभ्यर्थी को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि प्रक्रिया के विभिन्न चरणों में उपयोग के लिए उसकी प्रतियां रख लें। अभ्यर्थियों को यह भी सूचित किया जाता है कि वे प्रक्रिया पूरी होने तक अपनी रूप को न बदलें। प्रक्रिया के विभिन्न चरणों में एक ही तस्वीर प्रस्तुत करने में विफलता, किसी भी स्तर पर पहचान के बारे में संदेह अनर्हता का कारण बन सकता है।

A recent, recognizable photograph should be uploaded by the candidate in the online application form and the candidate should ensure that copies of the same are retained for use at various stages of the process. Candidates are also advised not to change their appearance till the process is completed. Failure to produce the same photograph at various stages of the process, doubt about identity at any stage could lead to disqualification

<u>दस्तावेजों को स्कैन करने और अपलोड करने के लिए दिशानिर्देश</u>

<u>Guidelines for scanning and Upload of Documents</u>: ऑनलाइन आवेदनपत्र करने से पहले अभ्यर्थी को नीचे दिए गए विनिर्देशों के अनुसार अपनी फोटोग्राफ और हस्ताक्षर की स्कैन (डिजिटल) छवि की आवश्यकता होगी।

A. Before applying online a candidate will be required to have a scanned (digital)

image of his / her photograph and signature as per the specifications given below.

(i) **फोटोग्राफ छवि: (4.5 सेमी * 3.5 सेमी) /** Photograph Image: (4.5 cm* 3.5 cm):

- फोटोग्राफ हाल ही में लिया हुआ, पासपोर्ट आकार का रंगीन चित्र होना चाहिए। Photograph must be a recent passport size colour picture.

- सुनिश्चित करें कि चित्र हल्के रंग के, अधिमानतः सफेद रंग की पृष्ठभूमि पर लिया गया है।
- Make sure that the picture is in colour taken against a light - coloured, preferably white, background.

- तनाव मुक्त चेहरे के साथ सीधे कैमरे की ओर देखें Look straight at the camera with a relaxed face.

- यदि तस्वीर धूप के दिन ली गई है, तो सूरज को अपने पीछे रखें, या अपने आप को छाया में रखें, ताकि आप तिरछे नहीं दिखे और आप पर कोई गहरी छाया न पड़े।

- If the picture is taken on a sunny day, have the sun behind you, or place yourself in the shade, so that you are not squinting and there are no harsh shadows.

- यदि आपको फ्लैश का उपयोग करना है, तो सुनिश्चित करें कि कोई "रेड-आई" नहीं है।

- If you have to use flash, ensure there's no "red - eye".

- यदि आप चश्मा पहनते हैं तो सुनिश्चित करें कि कोई प्रतिबिंब नहीं आ रहा है और आपकी आंखेँ स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही है।

- If you wear glasses make sure that there are no reflections, and your eyes can be clearly seen.

- टोपी, हैट और काला चश्मा स्वीकार्य नहीं है।
- Caps, hats and dark glasses are not acceptable.

- सर पर पहने जाने वाले धार्मिक परिधान की अनुमति है लेकिन इससे आपके चेहरा नहीं ढकना चाहिए। Religious headwear is allowed but it must not cover your face.

- 200x230 फिक्सल (अधिमानत:) विस्तार Dimensions 200 x 230 pixels (preferred).

- फ़ाइल का आकार 20केबी -50 केबी के बीच होना चाहिए Size of file should be between 20 KB – 50 KB

- सुनिश्चित करें कि स्कैन की गई छवि का आकार 50केबी से अधिक नहीं है। यदि फ़ाइल का आकार 50 केबी से अधिक है तो स्कैनिंग की प्रक्रिया के दौरान स्कैनर की सेटिंग्स को समायोजित करें जैसे कि डीपीआई रिज़ॉल्यूशन, रंगों की संख्या।
- Ensure that the size of the scanned image is not more than 50KB. If the size of the file is more than 50 KB, then adjust the settings of the scanner such as the DPI resolution, no. of colours, during the process of scanning.

(ii) हस्ताक्षर, बाएं अंगूठे का निशान और हस्तलिखित घोषणा चित्र:
<u>Signature, left thumb impression and hand-written declaration Image</u>:

- आवेदक को श्वेत पत्र पर काली स्याही के पेन से हस्ताक्षर करेंगे।
- The applicant has to sign on white paper with Black Ink pen.

✓ आकार 140 x 60 पिक्सेल (अधिमानत:)
✓ Dimensions 140 x 60 pixels (preferred).

✓ फ़ाइल का आकार हस्ताक्षर के लिए 10केबी – 20केबी और बाएं अंगूठे के निशान के लिए 20केबी – 50केबी के बीच होना चाहिए।
✓ Size of file should be between 10 KB – 20 KB for signature and 20 KB – 50 KB for left thumb impression.

✓ सुनिश्चित करें कि स्कैन की गई छवि का आकार 20केबी से अधिक नहीं है
✓ Ensure that the size of the scanned image is not more than 20 KB.

- आवेदक को अपने बाएं अंगूठे का निशान सफेद कागज पर काली या नीली स्याही से लगाना है। /
  - The applicant has to put his left thumb impression on a white paper with black or blue ink.

✓ <u>फ़ाइल का प्रकार:</u> जेपीजी / जेपीईजी
✓ <u>File type</u>: jpg / jpeg

✓ <u>आयाम:</u> 200 डीपीआई में 240 x 240 पिक्सल (आवश्यक गुणवत्ता के लिए अधिमानत:) अर्थात 3 सेमी * 3 सेमी (चौड़ाई * ऊंचाई)_
✓ <u>Dimensions</u>: 240 x 240 pixels in 200 DPI (Preferred for required quality) i.e. 3 cm * 3 cm (Width * Height).

✓ <u>फ़ाइल का आकार:</u> 20 केबी - 50 केबी
✓ <u>File Size</u>: 20 KB - 50 KB

- आवेदक को सफेद कागज पर काले स्याही से स्पष्ट रूप से अंग्रेजी में घोषणा लिखनी है। The applicant has to write the declaration in English clearly on a white paper with black ink.

✓ फ़ाइल का प्रकार: जेपीजी / जेपीईजी_
✓ File type: jpg / jpeg

✓ आयाम: 200 डीपीआई में 800 x 400 पिक्सल (आवश्यक गुणवत्ता के लिए अधिमानत:) अर्थात 10 सेमी * 5 सेमी (चौड़ाई * लंबाई)

✓ Dimensions: 800 x 400 pixels in 200 DPI (Preferred for required quality) i.e. 10 cm * 5 cm (Width * Height)

✓ फ़ाइल आकार 50 केबी -100 के बी File Size: 50 KB - 100 KB

- हस्ताक्षर, बाएं अंगूठे का निशान और हस्तलिखित घोषणा आवेदक के होने चाहिए न कि किसी अन्य व्यक्ति के।
- The signature left thumb impression and the hand written declaration should be of the applicant and not by any other person.

- यदि परीक्षा के समय हस्ताक्षरित उपस्थिति पत्रक या बुलावापत्र पर आवेदक के हस्ताक्षर अपलोड किए गए हस्ताक्षर से मेल नहीं खाते हैं, तो आवेदक को अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा।
- If the Applicant's signature on the attendance sheet or Call letter, signed at the time of the Group Discussion and Interview, does not match the signature uploaded, the applicant will be disqualified.

- बड़े अक्षरों में हस्ताक्षर/हस्तलिखित घोषणा स्वीकार नहीं की जाएगी।
- Signature / hand written declaration in CAPITAL LETTERS shall NOT be accepted.

फोटोग्राफ / हस्ताक्षर / बाए आठ के अंगूठे / हाथ से लाइक उद्घोषणा को स्कैन करना:

(iii) Scanning of photograph / signature / left thumb impression / handwritten declaration:

- स्कैनर रिज़ॉल्यूशन को न्यूनतम 200 डीपीआई (डॉट्स प्रति इंच) पर सेट करें
- Set the scanner resolution to a minimum of 200 dpi (dots per inch).
- रंग को ट्रू कलर में सेट करें /Set Color to True Color.
- ऊपर बताए अनुसार फ़ाइल का आकार File Size as specified above.

- स्कैनर में छवि को फोटोग्राफ/हस्ताक्षर/बाएं अंगूठे के निशान/हाथ से लिखित घोषणा के किनारे

तक क्रॉप करें, फिर छवि को अंतिम आकार में क्रॉप करने के लिए अपलोड एडिटर का उपयोग करें (जैसा कि ऊपर निर्दिष्ट किया गया है)।

- Crop the image in the scanner to the edge of the photograph / signature / left thumb impression / handwritten declaration, then use the upload editor to crop the image to the final size (as specified above).

- यह छवि फ़ाइल जेपीजी या जेपीईजी प्रारूप में होनी चाहिए। **एक उदाहरण फ़ाइल नाम है: image01.jpg या image01.jpeg** छवि आयामों को फ़ोल्डर फ़ाइलों को सूचीबद्ध करके या फ़ाइल छवि आइकन पर माउस ले जाकर जांचा जा सकता है।

- The image file should be JPG or JPEG format. **An example file name is: image01.jpg or image01.jpeg.** Image dimensions can be checked by listing the folder files or moving the mouse over the file image icon.

- एमएस विंडोज / एमएस ऑफिस का उपयोग करने वाले अभ्यर्थी एमएस पेंट या एमएस ऑफिस / पिक्चर मैनेजर का उपयोग करके आसानी से .jpeg प्रारूप में दस्तावेज़ प्राप्त कर सकते हैं। फ़ाइल मेनू में 'सेव एस' विकल्प का उपयोग करके किसी भी प्रारूप में स्कैन किए गए दस्तावेज़ को .jpg / .jpeg प्रारूप में सहेजा जा सकता है। क्रॉप और फिर आकार बदलने के विकल्प का उपयोग करके आकार को समायोजित किया जा सकता है। अन्य फोटो एडिटर में भी इसी तरह के विकल्प उपलब्ध हैं।

- Candidates using MS Windows / MSOffice can easily obtain documents in .jpeg format by using MS Paint or MSOffice / Picture Manager. Scanned document in any format can be saved in .jpg / .jpeg format by using 'Save As' option in the File menu. Size can be adjusted by using crop and then resize option. Similar options are available in other photo editor also.

- यदि फ़ाइल का आकार और प्रारूप निर्धारित के अनुसार नहीं है, तो एक त्रुटि संदेश प्रदर्शित होगा।
- If the file size and format are not as prescribed, an error message will be displayed.

- ऑनलाइन आवेदनपत्र भरते समय अभ्यर्थी को अपनी फोटोग्राफ और हस्ताक्षर अपलोड करने के लिए एक लिंक प्रदान किया जाएगा।
- While filling in the Online Application Form the candidate will be provided with a link to upload his / her photograph and signature.

(iv) संक्षिप्त बायोडाटा, शैक्षिक प्रमाणपत्र और प्रासंगिक अनुभव/कार्यमुक्ति पत्र (यदि कोई हो) को स्कैन करना:
Scanning the Brief Resume, Educational certificate and relevant experience / relieving letter (if any):

दस्तावेज़ फ़ाइल प्रकार/आकार –
Document file type / size –

- सभी दस्तावेज़ पीडीएफ प्ररूप में होने चाहिए।
- All Documents must be in PDF format.

- दस्तावेज़ के पृष्ठ का आकार A4 होना चाहिए।
- Page size of the document to be A4.

- फ़ाइल का आकार 500 केबी से अधिक नहीं होना चाहिए.

- Size of the file should not be exceeding 500 KB.

- दस्तावेज़ को स्कैन करने के मामले में, कृपया सुनिश्चित करें कि इसे पीडीएफ के रूप में सहेजा गया है और पीडीएफ का आकार 500 केबी से अधिक नहीं है। यदि फ़ाइल का आकार 500 KB से अधिक है, तो स्कैनिंग की प्रक्रिया के दौरान स्कैनर की सेटिंग जैसे डीपीआई रिज़ॉल्यूशन, रंगों आदि की संख्या समायोजित करें। । कृपया सुनिश्चित करें कि अपलोड किए गए दस्तावेज़ स्पष्ट और पठनीय हैं।

- In case of Document being scanned, please ensure it is saved as PDF and size not more than 500 KB as PDF. If the size of the file is more than 500 KB, then adjust the setting of the scanner such as the DPI resolution, no. of colors etc., during the process of scanning. Please ensure that Documents uploaded are clear and readable.

दस्तावेज़ अपलोड करने की प्रक्रिया
Procedure for Uploading the documents:

- ऑनलाइन आवेदनपत्र भरते समय अभ्यर्थी को फोटोग्राफ, हस्ताक्षर, बाएं अंगूठे का निशान और हस्तलिखित घोषणा **संक्षिप्त बायोडाटा, शैक्षिक प्रमाणपत्र और प्रासंगिक अनुभव/कार्यमुक्ति पत्र** अपलोड करने के लिए अलग-अलग लिंक प्रदान किए जाएंगे।
- While filling in the Online Application Form the candidate will be provided with separate links for uploading Photograph, signature, left thumb impression, hand written declaration and **Brief Resume, Educational certificate and relevant experience / relieving letter**.

- संबंधित लिंक पर क्लिक करें "फोटो अपलोड करें / हस्ताक्षर / बाएं अंगूठे का निशान / हस्तलिखित घोषणा अपलोड करें "
- Click on the respective link "Upload Photograph / signature / Upload left thumb impression / hand written declaration".

- ब्राउज़ करें और उस स्थान का चयन करें जहां स्कैन की गई तस्वीर/हस्ताक्षर/बाएं अंगूठे का निशान/हस्तलिखित घोषणा फ़ाइल सहेजी गई है।

- Browse and Select the location where the Scanned Photograph / signature / left thumb impression / hand written declaration file has been saved.

- फ़ाइल पर क्लिक करके उसे चुनें
- Select the file by clicking on it.

- 'ओपन/अपलोड' बटन पर क्लिक करें।
- Click the 'Open / Upload' button.

- यदि फ़ाइल का आकार और प्ररूप निर्धारण के अनुसार नहीं है, तो एक त्रुटि संदेश प्रदर्शित होगा।
- If the file size and format are not as prescribed, an error message will be displayed.

- अपलोड की गई छवि का पूर्वावलोकन छवि की गुणवत्ता को देखने में मदद करेगा। अस्पष्ट/धुंधला होने की स्थिति में, इसे अपेक्षित स्पष्टता/गुणवत्ता के साथ पुनः अपलोड किया जा सकता है।
- Preview of the uploaded image will help to see the quality of the image. In case of unclear / smudged, the same may be re-uploaded to the expected clarity / quality.

  आपका ऑनलाइन आवेदनपत्र तब तक पंजीकृत नहीं होगा जब तक कि आप अपना फोटो, हस्ताक्षर, बाएं अंगूठे का निशान और हस्तलिखित घोषणा **संक्षिप्त बायोडाटा, शैक्षिक प्रमाणपत्र और प्रासंगिक अनुभव/कार्यमुक्ति पत्र** को निर्दिष्ट रूप में अपलोड नहीं करते हैं।

  Your Online Application will not be registered unless you upload your Photograph, signature, left thumb impression, hand written declaration and **brief Resume, Educational certificate and relevant experience / relieving letter** as specified.

नोट :- /<u>Note</u>:

1. यदि फोटोग्राफ में चेहरा/ हस्ताक्षर अस्पष्ट /धुंधला है, तो अभ्यर्थी का आवेदनपत्र रद्द कर दिया जाएगा। In case the face in the photograph, or signature is unclear / smudged, the candidate's application may be rejected.

2. ऑनलाइन आवेदनपत्र पत्र में फोटो/हस्ताक्षर/बाएं अंगूठे का निशान/हस्तलिखित घोषणा संक्षिप्त बायोडाटा, शैक्षिक प्रमाणपत्र और प्रासंगिक अनुभव/कार्यमुक्ति पत्र अपलोड करने के बाद अभ्यर्थी को यह जांचना चाहिए कि चित्र स्पष्ट हैं और सही तरीके से अपलोड किए गए हैं। यदि फोटोग्राफ या हस्ताक्षर या बाएं अंगूठे का निशान या हाथ से लिखित घोषणा स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं दे रही है, तो अभ्यर्थी अपने आवेदनपत्र को संपादित कर सकता है और फॉर्म जमा करने से पूर्व अपनी तस्वीर या हस्ताक्षर या बाएं अंगूठे का निशान या हाथ से लिखित घोषणा को फिर से अपलोड कर सकता है।

   After uploading the Photograph / signature / left thumb impression / hand written declaration / Brief Resume, Educational certificate and relevant experience / relieving letter in the online application form candidates should check that the images are clear and have been uploaded correctly. In case the photograph or signature or left thumb impression or the hand written declaration is not

prominently visible, the candidate may edit his / her application and re - upload his / her photograph or signature or left thumb impression or the hand written declaration, prior to submitting the form.

अभ्यर्थी को यह भी सुनिश्चित करना होगा कि फोटो के स्थान पर फोटो तथा हस्ताक्षर के स्थान पर हस्ताक्षर अपलोड किया गया हो। यदि फोटो के स्थान पर फोटो और हस्ताक्षर के स्थान पर हस्ताक्षर ठीक से अपलोड नहीं किया गया है, तो अभ्यर्थी को समूह चर्चा और साक्षात्कार में उपस्थित होने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

Candidate should also ensure that photo is uploaded at the places of photo and signature at the place of signature. If photo in place of photo and signature in place of signature is not uploaded properly, candidate will not be allowed to appear for the Group Discussion and Interview.

उम्मीदवार को यह सुनिश्चित करना होगा कि अपलोड किया जाने वाला फोटो आवश्यक आकार का हो और चेहरा स्पष्ट रूप से दिखाई दे। यदि फोटो के स्थान पर फोटो और हस्ताक्षर के स्थान पर हस्ताक्षर ठीक से अपलोड नहीं किया गया है, तो अभ्यर्थी को समूह चर्चा और साक्षात्कार में उपस्थित होने की अनुमति नहीं दी जाएगी, जिसके लिए अभ्यर्थी स्वयं उत्तरदायी होगा।

Candidate must ensure that Photo to be uploaded is of required size and the face should be clearly visible.If the photo is not uploaded at the place of Photo Admission for Group Discussion and Interview will be rejected / denied. Candidate him / herself will be responsible for the same.

अभ्यर्थियों को यह सुनिश्चित करना चाहिए की अपलोड़ किया क्या हस्ताक्षर स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ा रहा है।

Candidates should ensure that the signature uploaded is clearly visible.

अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि ऑनलाइन पंजीकरण के बाद वे अपने सिस्टम जनरेटेड ऑनलाइन आवेदनपत्रों का प्रिंटआउट लें।

After registering online candidates are advised to take a printout of their system generated online application forms.

सहायताडेस्क : फॉर्म भरने, शुल्क / सूचना शुल्क के भुगतान या प्रवेश / बुलावापत्र की प्राप्ति में किसी भी समस्या के मामले में, टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर: 1800222366, 18001034566 (सुबह 09:30 से 06:00 सायं के बीच महाराष्ट्र राज्य में लागू शनिवार, रविवार और बैंक छुट्टियों को छोड़कर) पर पूछताछ की जा सकती है या http://cgrs.ibps.in पर अपना प्रश्न दर्ज करें। अभ्यर्थियों को ईमेल के विषय में 'सिडबी में ग्रेड 'ए' अधिकारियों की भर्ती - 2023' का उल्लेख करना चाहिए।

Helpdesk: In case of any problem in filling up the form, payment of fee / intimation charges or receipt of Admission/ call letter, queries may be made at Toll free Helpline Number: 1800222366, 18001034566 (between 09:30 AM to 06:00 PM except Saturdays, Sundays & Bank Holidays applicable in Maharashtra State) or lodge their query on http://cgrs.ibps.in. Candidates should mention ‘RECRUITMENT OF GRADE ‘A’ OFFICERS IN SIDBI - 2023’ in the subject of the email.

*****

भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक
प्रधान कार्यालय: सिडबी टॉवर, 15 अशोक मार्ग, लखनऊ - 226001
SMALL INDUSTRIES DEVELOPMENT BANK OF INDIA
HEAD OFFICE: SIDBI TOWER, 15 ASHOK MARG, LUCKNOW - 226001

ग्रेड 'ए' में अधिकारियों की भर्ती – सामान्य वर्ग: 2022
Recruitment of Officers in Grade 'A' – General Stream: 2022

सामान्य अनुदेश
GENERAL INSTRUCTIONS

[ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने से पहले कृपया ध्यान से पढ़ें]
[PLEASE READ CAREFULLY BEFORE FILLING UP THE APPLICATION FORM ONLINE]

1. आवेदन पत्र भरने से पहले, उम्मीदवारों को यह सुनिश्चित करना होगा कि वे **08 नवंबर, 2023 और 28 नवंबर, 2023 तक, जैसी भी स्थिति हो,** आयु, शैक्षिक योग्यता, कार्य अनुभव आदि के संबंध में सभी पात्रता मानदंडों को पूरा करते हैं, जिसके लिए वे आवेदन कर रहे हैं और आवेदन पत्र में दिए गए विवरण सभी प्रकार से सही हैं।

   Before filling in the application form, the candidates must ensure that they fulfill all the eligibility criteria with respect to age, educational qualification, work experience etc. **as on November 08, 2023, and November 28, 2023, as the case may be** in respect of the post for which he / she is making the application and that the particulars furnished in the application form are correct in all respects.

2. चयनित उम्मीदवारों की नियुक्तियां बैंक चिकित्सा अधिकारी द्वारा चिकित्सकीय रूप से फिट घोषित किए जाने, पुलिस अधिकारियों द्वारा उनके चरित्र और पूर्ववृत्त के बारे में संतोषजनक रिपोर्ट, उनके पिछले नियोक्ता और रेफरी से संतोषजनक रिपोर्ट, जाति / जनजाति और वर्ग प्रमाण पत्र का सत्यापन और सिडबी की पूर्ण संतुष्टि के लिए अन्य सभी भर्ती पूर्व औपचारिकताओं को पूरा करने के अधीन होंगी। इसके अलावा, ऐसी नियुक्ति सिडबी में प्रयोज्य सेवा और आचरण के नियमों के भी अधीन होगी।

   Appointments of selected candidates will be subject to his / her being declared medically fit by Bank Medical Officer, satisfactory report about his / her character and antecedents by the Police Authorities, satisfactory report from his / her previous employer and referees, verification of caste / tribe and class certificate and completion of all other pre recruitment formalities to the complete satisfaction of SIDBI. Further, such appointment shall also be subject to Service and Conduct Rules of SIDBI.

3. ऑनलाइन आवेदन पत्र और किसी अन्य दस्तावेज का प्रिंटआउट (मूल या उसकी प्रतिलिपि) सिडबी के किसी भी कार्यालय /शाखा को **नहीं भेजा जाना चाहिए**।

Printout of the online application form and any other document (in original or copy thereof) **SHOULD NOT BE SENT** to any office / branch of SIDBI.

4. उम्मीदवारों को चेतावनी दी जाती है कि वे ऑनलाइन आवेदन करते समय ऐसे किसी भी विवरण या ऐसी किसी भी जानकारी को प्रस्तुत न करें, जो गलत, दोषपूर्ण / मनगढ़ंत हो या वे किसी भी महत्वपूर्ण जानकारी को छिपाएं नहीं। यदि किसी भी स्तर पर यह पाया जाता है कि कोई उम्मीदवार आवेदन किए गए पद के लिए किसी भी पात्रता मानदंड को पूरा नहीं करता है और / या उसने कोई गलत जानकारी दी है या किसी भी महत्वपूर्ण तथ्य को छिपाया है, तो उसकी उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी। यदि नियुक्ति के बाद भी इनमें से कोई भी कमी पाई जाती है, तो उसकी सेवाएं समाप्त कर दी जाएंगी।

Candidates are cautioned that they should not furnish any particulars or information that are false, tampered/fabricated or should not suppress any material information while applying online. In case it is detected at any stage that a candidate does not fulfill any of the eligibility criteria for the post applied for and / or that he / she has furnished any incorrect information or has suppressed any material fact(s), his / her candidature will stand cancelled. If any of these shortcomings is/are detected even after the appointment, his/her services are liable to be terminated.

5. सभी शैक्षिक योग्यताएं भारत में मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयों / संस्थानों से आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि को या उससे पहले प्राप्त की जानी चाहिए जैसाकि इस विज्ञापन में दर्शाया गया है। यदि अंकों के बजाय ग्रेड दिए जाते हैं, तो उम्मीदवारों को ग्रेड के रूपांतरण चार्ट की एक प्रति संख्यात्मक मूल्य में संलग्न करनी चाहिए, जिसे विभाग/ संस्थान के प्रमुख द्वारा विधिवत रूप से सत्यापित किया गया हो, यदि अंकतालिका में तत्संबंधी उल्लेख नहीं किया गया हो।

All educational qualifications must have been obtained on or before the last date of submission of application form from recognized Universities / Institutions in India as indicated in this Advertisement. If grades are awarded instead of marks, candidates should attach a copy of the Conversion Chart of Grade into Numeric value, which has been duly attested by the Head of the Department/ Institute, in case the same is not indicated in the mark sheet.

6. भर्ती से संबंधित सभी मामलों में सिडबी का निर्णय जैसे उम्मीदवार की पात्रता, पात्रता की ऐसी जांच किस चरण में की जानी है, **समूह-चर्चा और साक्षात्कार** /चयन आदि के संचालन के उद्देश्य से प्रस्तुत किए जाने वाले दस्तावेज और कोई अन्य मामला अंतिम और उम्मीदवार के लिए बाध्यकारी होगा। **इस संबंध में सिडबी द्वारा कोई पत्राचार या व्यक्तिगत पूछताछ पर विचार नहीं किया जाएगा।**

Decision of SIDBI in all matters relating to recruitment viz. eligibility of the candidate, the stages at which such scrutiny of eligibility is to be undertaken, the documents to be produced for the purpose of conduct of **Group Discussion and Interview** / selection etc. and any other matter will be final and binding on the candidate. **No correspondence or personal inquiries shall be entertained by SIDBI in this regard.**

7. सिडबी न्यूनतम पात्रता मानदंडों आदि को बढ़ाने/उनमें रियायत प्रदान करने का अधिकार सुरक्षित रखता है, ताकि रिक्तियों की संख्या के अनुरूप **समूह-चर्चा और साक्षात्कार** के लिए बुलाए जाने वाले उम्मीदवारों की संख्या को सीमित किया जा सके। **इस संबंध में अलग से कोई सूचना/अधिसूचना जारी नहीं की जाएगी।**

   SIDBI reserves the right to raise/ relax the minimum eligibility standard, etc., in order to restrict the number of candidates to be called for **Group Discussion and Interview** to commensurate with the number of vacancies. **No separate communication / notification shall be issued** in this regard.

8. सिडबी आवेदन करने के लिए अपनी पात्रता के संबंध में परामर्श मांगने वाले उम्मीदवारों के अनुरोधों पर विचार नहीं करेगा।

   SIDBI shall not entertain requests from the candidate's seeking advice about their eligibility to apply.

9. सिडबी उम्मीदवारों को चयन प्रक्रिया की अंक-तालिका प्रस्तुत नहीं करता है।

   IDBI does not furnish the mark sheet of selection process to candidates**.**

10. एक बार किए गए आवेदन को वापस लेने की अनुमति नहीं दी जाएगी और एक बार भुगतान किए गए आवेदन सह प्रसंस्करण शुल्क /डाक शुल्क को किसी भी खाते में **वापस नहीं** किया जाएगा और न ही भविष्य में उसे किसी भी परीक्षा या चयन के लिए आरक्षित रखा जाएगा।

    Application once made will not be allowed to be withdrawn and the Application cum processing fee/ postal charges once paid will **NOT BE** refunded on any account nor would be held in reserve for any future examination or selection.

11. हाल ही की पासपोर्ट आकार की **रंगीन तस्वीर (काले चश्मे के बिना)** की पर्याप्त प्रतियां, जो 'ऑनलाइन' कॉल लेटर पर चिपकाई गई हैं, बाद की भर्ती औपचारिकताओं के लिए रखी जानी चाहिए। उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि जब तक भर्ती की पूरी प्रक्रिया समाप्त नहीं हो जाती, तब तक वे अपना रूप न बदलें। अनंतर, उसी तस्वीर को प्रस्तुत करने की विफलता अयोग्यता का कारण बन सकती है।

    Sufficient copies of the recent passport size, **colour photograph (without dark glasses)** which is pasted on the 'ONLINE' call letter, should be retained for subsequent recruitment formalities. **Candidates are advised not to change their appearance till the entire recruitment process is over. Failure to produce the same photograph subsequently may lead to disqualification.**

12. ओबीसी श्रेणी से संबंधित उम्मीदवारों के संबंध में जाति प्रमाण पत्र निर्धारित प्रारूप में जारी किया जाना चाहिए और इस तरह का प्रमाण पत्र अधिकारपत्रित प्राधिकारियों द्वारा जारी किया जाना चाहिए। ओबीसी प्रमाण पत्र में विशेष रूप से इस आशय का उल्लेख होना चाहिए कि उम्मीदवार भारत सरकार के तहत सिविल पदों और सेवाओं में ओबीसी के लिए आरक्षण के लाभों से बाह्य क्रीमी लेयर सेक्शन से संबंधित नहीं है और **उक्त ओबीसी प्रमाण पत्र ऑनलाइन पंजीकरण गेटवे बंद होने की तारीख से एक वर्ष से अधिक पुराना नहीं होना चाहिए।**

    In respect of candidates belonging to OBC category, the Caste Certificate should have been issued in the prescribed format and by authorities empowered to issue such certificate. The OBC certificate should specifically indicate that the candidate does not belong to **Creamy Layer Section** excluded from the benefits of reservation for OBC in Civil Posts and Services under Govt. of India and that the OBC **Certificate should not be more than one year old from the date of closure of online registration**

gateway.

13. ओबीसी को प्रमाण पत्र जारी करने के लिए सक्षम प्राधिकारी (i) जिला मजिस्ट्रेट / मजिस्ट्रेट/कलेक्टर/डिप्टी कमिश्नर/एडिशनल डिप्टी कमिश्नर/डिप्टी कलेक्टर/प्रथम श्रेणी स्टाइपेंडरी मजिस्ट्रेट/सब-डिविजन मजिस्ट्रेट/तालुका मजिस्ट्रेट/कार्यकारी मजिस्ट्रेट/अतिरिक्त सहायक आयुक्त (ii) चीफ प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेट/एडिशनल चीफ प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेट/प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेट (iii) राजस्व अधिकारी जो तहसीलदार-पद के नीचे नहीं है (iv) उस क्षेत्र का उप-विभागीय अधिकारी जहां उम्मीदवार और/या उसका परिवार सामान्य रूप से रहता है।

    The competent authority for the issue of the Certificate to OBC is (i) District Magistrate / Additional Distt. Magistrate / Collector / Deputy Commissioner / Additional Deputy Commissioner / Dy. Collector / First Class Stipendary Magistrate / Sub - Division Magistrate / Taluka Magistrate / Executive Magistrate / Extra Assistant Commissioner (ii) Chief Presidency Magistrate / Additional Chief Presidency Magistrate / Presidency Magistrate (iii) Revenue Officer not below the rank of Tahsildar (iv) Sub Divisional Officer of the area where the candidate and / or his family normally resides.

14. उम्मीदवार की नियुक्ति जनजाति /वर्ग प्रमाण पत्र को उचित माध्यम से सत्यापित करने और प्रमाणपत्रों के सत्यापन के अधीन अनंतिम रहेगी। **यदि सत्यापन से पता चलता है कि ओबीसी (क्रीमी लेयर से संबंधित नहीं) और अन्य प्रमाणपत्रों से संबंधित होने का उसका दावा झूठा है, तो उम्मीदवार की सेवा बिना कोई कारण बताए तुरंत समाप्त कर दी जाएगी। सिडबी उम्मीदवार के खिलाफ इस तरह की आगे की कार्रवाई करने का अधिकार भी सुरक्षित रखता है, जैसाकि उसे झूठे प्रमाणपत्र (प्रमाणपत्रों) को प्रस्तुत करने के लिए उचित समझा जाए।**

    The candidate's appointment will remain provisional subject to tribe / class certificate being verified through proper channel and verification of testimonials. **The candidate's service will be liable to be terminated forthwith without assigning any reason in case the verification reveals that his / her claim for belonging to OBC (including not belonging to creamy layer) and other testimonials is false. SIDBI also reserves it's right to take such further action against the candidate, as it may deem proper for production of false certificate(s).**

15. **समूह-चर्चा और साक्षात्कार** के दौरान हिंदी/अंग्रेजी के उपयोग का विकल्प उपलब्ध होगा। **उम्मीदवार आवेदन पत्र में उचित स्थान पर अपने विकल्प के उल्लेख ता तथ्य नोट कर सकते हैं।**

    Option **for use of Hindi/English** will be available during **Group Discussion and Interview. Candidates may note to indicate their choice at appropriate place in the application form.**

16. उम्मीदवारों को अपने खर्च और जोखिम पर भर्ती-पूर्व प्रशिक्षण / समूह-चर्चा /व्यक्तिगत साक्षात्कार के लिए उपस्थित होना होगा। सिडबी किसी भी उम्मीदवार को किसी भी प्रकार की चोट /हानि आदि के लिए जिम्मेदार नहीं होगा।

    The candidates will have to appear for the Pre-Recruitment Training / Group Discussion / Personal Interview at their own cost and risk. SIDBI shall not be responsible for any injury / loss etc. of any nature to any candidate.

17. उम्मीदवारों को अपने खर्च पर **समूह-चर्चा और साक्षात्कार** के लिए उपस्थित होना होगा। तथापि, साक्षात्कार के लिए बुलाए गए अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/विकलांग श्रेणी के पात्र उम्मीदवारों को द्वितीय वातानुकूलित श्रेणी का रेलवे/बस किराया या वास्तविक खर्च, जो भी कम हो, सबसे समीपस्थ मार्ग से

यात्रा का प्रमाण (रेल/बस टिकट आदि) प्रस्तुत करने पर भुगतान किया जाएगा। **उपरोक्त रियायत अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/विकलांग श्रेणी के उन उम्मीदवारों के लिए स्वीकार्य नहीं होगी, जो पहले से ही केंद्र/राज्य सरकार, निगमों, सार्वजनिक उपक्रमों/स्थानीय सरकार, संस्थानों और पंचायतों आदि में सेवारत हैं।**

Candidates will have to appear for the **Group Discussion and Interview** at their own expense. However, eligible outstation SC/ST/Persons with Disabilities category candidates called for interview will be paid II AC class to & fro railway/ bus fare or actual expenses incurred, whichever is less, by shortest route on production of proof of travel (rail/ bus ticket etc.). **The above concession will not be admissible to SC/ST/Persons with Disabilities category candidates who are already in service in Central / State Government, Corporations, Public Undertakings / Local Government, Institutions and Panchayats etc.**

18. चयनित उम्मीदवार, जो पहले से ही सरकारी/अर्ध-सरकारी संगठनों, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों/उपक्रमों, एनबीएफसी/वित्तीय संस्थानों/अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों की सेवा में हैं, को ड्यूटी के लिए रिपोर्ट करते समय अपने वर्तमान नियोक्ता से **'मूल रूप में उचित कार्यमुक्ति पत्र/निर्वहन प्रमाण पत्र'** प्रस्तुत करना होगा, ऐसा न करने पर उन्हें ड्यूटी के लिए रिपोर्ट करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। इसलिए, उम्मीदवार, जो पहले से ही सरकारी/अर्ध-सरकारी संगठनों, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों/उपक्रमों की सेवा में हैं, इस संबंध में अपने वर्तमान नियोक्ताओं के नियमों/विनियमों के अनुसार सिडबी में आवेदन करने से पहले अपने वर्तमान नियोक्ता से पूर्व अनुमति/अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त कर सकते हैं।

Selected Candidates, who are already in service of Government / Quasi -Government organizations, Public Sector Banks / Undertakings, NBFC/ Fis/ Schedule Commercial Banks, must produce a ***'proper relieving letter / discharge certificate in original'*** form their present Employer **at the time of reporting for duty, failing which they shall not be allowed to report for duty.** Therefore, candidates, who are already in service of Government /Quasi -Government organizations, Public Sector Banks / Undertakings, may like to obtain prior permission / No objection certificate from their present employer before applying in SIDBI as per rules / regulations of their present employers in this regard.

19. **भारत में कहीं भी सेवा करने के इच्छुक** उम्मीदवार ही आवेदन करें।

Only candidates **willing to serve anywhere in India** may apply.

20. **समूह-चर्चा और साक्षात्कार** के समय, कॉल लेटर के साथ उम्मीदवार की वर्तमान में मान्य फोटो पहचान (कॉल लेटर पर दिखाई देने वाले नाम के समान ही) जैसे पैन कार्ड/पासपोर्ट/स्थायी ड्राइविंग लाइसेंस/वोटर कार्ड/फोटो के साथ बैंक पासबुक/आधिकारिक लेटरहेड पर राजपत्रित अधिकारी द्वारा जारी फोटो पहचान प्रमाण/आधिकारिक लेटरहेड पर जनप्रतिनिधि द्वारा जारी फोटो पहचान प्रमाण के साथ कॉल लेटर जारी किया जाना चाहिए। किसी मान्यता प्राप्त कॉलेज/विश्वविद्यालय द्वारा जारी फोटो/वैध पहचान पत्र/आधार कार्ड/फोटो युक्त ई-आधार कार्ड/कर्मचारी आईडी/बार काउंसिल पहचान पत्र के साथ सत्यापन के लिए निरीक्षक को प्रस्तुत किया जाना चाहिए। उम्मीदवार की पहचान कॉल लेटर पर, उपस्थिति सूची में उसके विवरण और प्रस्तुत किए गए आवश्यक दस्तावेजों के संबंध में सत्यापित की जाएगी। यदि उम्मीदवार की पहचान संदेहास्पद है तो, उम्मीदवार को समूह-चर्चा और साक्षात्कार के लिए उपस्थित होने की अनुमति नहीं दी जा सकती है।

राशन कार्ड और लर्नर ड्राइविंग लाइसेंस इस परियोजना के लिए मान्य आईडी प्रमाण नहीं हैं।

At the time of **Group Discussion and Interview**, the call letter along with original and a photocopy of the candidate's currently valid photo identity (bearing exactly the same name as it appears on the call letter) such as PAN Card/ Passport/ Permanent Driving Licence/ Voter's Card/ Bank Passbook with photograph/ Photo identity proof issued by a Gazzetted Officer on official letterhead along with photograph / Photo identity proof issued by a People's Representative on official letterhead along with photograph / valid recent Identity Card issued by a recognized College/ University/ Aadhar card/ E-Aadhar Card with a photograph/ Employee ID/ Bar Council Identity Card with photograph should be submitted to the invigilator for verification. The candidate's identity will be verified with respect to his/her details on the call letter, in the Attendance List and requisite documents submitted. If identity of the candidate is in doubt the candidate may not be allowed to appear for the **Group Discussion and Interview**.

Ration Card and Learner's Driving License are not valid id proofs for this project.

नोट: उम्मीदवारों को मूल रूप से फोटो पहचान प्रमाण प्रस्तुत करना होगा और **समूह चर्चा और साक्षात्कार** कॉल पत्र के साथ उसी फोटो पहचान प्रमाण की फोटोकॉपी जमा करनी होगी, जिसके बिना उन्हें **समूह चर्चा और साक्षात्कार** लेने की अनुमति नहीं दी जाएगी। उम्मीदवारों को ध्यान देना चाहिए कि कॉल लेटर (पंजीकरण की प्रक्रिया के दौरान प्रदान किए गए) पर दिखाई देने वाला नाम फोटो पहचान प्रमाण पर दिखाई देने वाले नाम से बिल्कुल मेल खाना चाहिए।

Note: Candidates have to produce in original the photo identity proof and submit photocopy of the same photo identity proof along with **Group Discussion and Interview** Call Letter while attending the **Group Discussion and Interview**, without which they will not be allowed to take up the **Group Discussion and Interview**. Candidates must note that the name as appearing on the call letter (provided during the process of registration) should exactly match the name as appearing on the photo identity proof.

जिन महिला उम्मीदवारों ने विवाहोपरांत, पहला / अंतिम / मध्य नाम बदला है, उन्हें इस पर विशेष ध्यान देना चाहिए। यदि कॉल लेटर और फोटो पहचान प्रमाण में इंगित नाम के बीच कोई विसंगति है, तो उम्मीदवार को साक्षात्कार / जीडी के लिए उपस्थित होने की अनुमति नहीं दी जाएगी। जिन उम्मीदवारों ने अपना नाम बदल लिया है, उन्हें केवल तभी अनुमति दी जाएगी जब वे मूल राजपत्र अधिसूचना / अपने मूल विवाह प्रमाण पत्र / मूल रूप में शपथ पत्र प्रस्तुत करेंगे।

Female candidates who have changed first/last/middle name post marriage must take special note of this. If there is any mismatch between the name indicated in the Call Letter and Photo Identity Proof the candidate will not be allowed to appear for Interview/GD. In case of candidates who have changed their name, will be allowed only if they produce original Gazette notification / their original marriage certificate / affidavit in original.

21. **विलंब से रिपोर्ट करने वाले उम्मीदवार** यानी **समूह चर्चा और साक्षात्कार** के लिए कॉल लेटर पर निर्दिष्ट रिपोर्टिंग समय के बाद **समूह चर्चा और साक्षात्कार में भाग लेने की अनुमति नहीं दी जाएगी।** कॉल लेटर पर उल्लिखित रिपोर्टिंग समय साक्षात्कार / जीडी के प्रारंभ समय से पूर्व का है।

CANDIDATES REPORTING LATE i.e. after the reporting time specified on the call

letter for **Group Discussion and Interview will not be permitted** to attend **Group Discussion and Interview**. The reporting time mentioned on the call letter is prior to the Start time of the Interview/GD.

22. **कदाचार/अनुचित साधनों के उपयोग के दोषी पाए गए उम्मीदवारों के खिलाफ कार्रवाई**

ACTION AGAINST CANDIDATES FOUND GUILTY OF MISCONDUCT/ USE OF UNFAIR MEANS

उम्मीदवारों को उनके स्वयं के हित में सलाह दी जाती है कि उन्हें कोई भी ऐसा विवरण प्रस्तुत नहीं करना चाहिए जो गलत, सदोष या मनगढ़ंत है और ऑनलाइन आवेदन जमा करते समय किसी भी भौतिक जानकारी को छिपाना नहीं चाहिए।

Candidates are advised in their own interest that they should not furnish any particulars that are false, tampered with or fabricated and should not suppress any material information while submitting online application.

साक्षात्कार / जीडी के समय या बाद की चयन प्रक्रिया में, यदि कोई उम्मीदवार दोषी पाया जाता है (या किया गया है) –

At the time of Interview/GD or in a subsequent selection procedure, if a candidate is (or has been) found guilty of –

(a) अनुचित साधनों का उपयोग करना या

using unfair means or

(b) किसी व्यक्ति द्वारा प्रतिरूपण या प्रतिरूपण प्राप्त करना या

impersonating or procuring impersonation by any person or

(c) **समूह चर्चा और साक्षात्कार** हॉल में दुर्व्यवहार करना या **समूह चर्चा और साक्षात्कार** की सामग्री या किसी भी रूप में या किसी भी माध्यम से, मौखिक या लिखित, इलेक्ट्रॉनिक रूप से या यांत्रिक रूप से किसी भी उद्देश्य के लिए समूह चर्चा और साक्षात्कार की सामग्री या उसके प्रसारण और भंडारण को प्रकट करना, प्रकाशित करना, पुन: प्रस्तुत करना, प्रसारित करना, संग्रहीत करना या सुविधा प्रदान करना।

misbehaving in the **Group Discussion and Interview** Hall or disclosing, publishing, reproducing, transmitting, storing or facilitating transmission and storage of contents of the **Group Discussion and Interview** or any information therein in whole or part thereof in any form or by any means, verbal or written, electronically or mechanically for any purpose or

(d) अपनी उम्मीदवारी के संबंध में किसी भी अनियमित या अनुचित साधनों का सहारा लेना या

resorting to any irregular or improper means in connection with his/ her candidature or

(e) अनुचित तरीकों से अपनी उम्मीदवारी के लिए समर्थन प्राप्त करना, या

obtaining support for his/ her candidature by unfair means, or

(f) **समूह चर्चा और साक्षात्कार** हॉल में मोबाइल फोन या संचार के समान इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को ले जाना - ऐसा उम्मीदवार, स्वयं को आपराधिक अभियोजन के लिए उत्तरदायी बनाने के अलावा, निम्न के प्रति उत्तरदायी हो सकता है:

arrying mobile phones or similar electronic devices of communication in the **Group Discussion and Interview** Hall, such a candidate may, in addition to

rendering himself/ herself liable to criminal prosecution, be liable:

(i) समूह चर्चा और साक्षात्कार से अयोग्य घोषित किया जाना, जिसके लिए वह एक उम्मीदवार है;

to be disqualified from the **Group Discussion and Interview** for which he/ she is a candidate;

(ii) सिडबी द्वारा आयोजित किसी भी परीक्षा से स्थायी रूप से या एक निर्दिष्ट अवधि के लिए वंचित किया जाना;

to be debarred either permanently or for a specified period from any examination conducted by SIDBI;

(iii) सेवा समाप्ति के लिए, यदि वह पहले ही सिडबी में शामिल हो चुका है।

for termination of service, if he/ she has already joined SIDBI.

23. केंद्र, स्थान का पता, आवेदन किए गए पद, **समूह चर्चा और साक्षात्कार** के लिए तिथि और समय कॉल लेटर में सूचित किया जाएगा। एक उम्मीदवार जिसने सफलतापूर्वक पंजीकरण किया है, उसे सिडबी की वेबसाइट से अपना कॉल लेटर डाउनलोड करना चाहिए **www.sidbi.in** अपना विवरण यानी पंजीकरण संख्या और पासवर्ड / जन्म तिथि दर्ज करके डाउनलोड करना चाहिए। कॉल लेटर/इंफॉर्मेशन हैंडआउट की कोई हार्ड कॉपी डाक/कूरियर द्वारा नहीं भेजी जाएगी। ऑनलाइन आवेदन पत्र में पंजीकृत ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर पर ईमेल और / एसएमएस द्वारा सूचना भेजी जाएगी। सिडबी मोबाइल नंबर, ईमेल पते में परिवर्तन, तकनीकी खराबी या सिडबी के नियंत्रण से बाहर होने के कारण उम्मीदवार को एसएमएस के माध्यम से भेजे गए किसी भी संचार की देर से प्राप्ति/गैर-प्राप्ति के लिए जिम्मेदारी नहीं लेगा। इसलिए उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे विवरण, अपडेट और किसी भी जानकारी के लिए सिडबी की वेबसाइट **www.sidbi.in** के साथ नियमित रूप से संपर्क में रहें, जो आगे मार्गदर्शन के साथ-साथ भर्ती प्रक्रिया के दौरान समय-समय पर अपने पंजीकृत ई-मेल खाते की जांच कर सकते हैं।

The Centre, venue address, post applied for, date and time for **Group Discussion and Interview** shall be intimated in the Call Letter. A candidate who has registered successfully should download his/her call letter from SIDBI's website **www.sidbi.in** by entering his/ her details i.e., Registration Number and Password/Date of Birth. No hard copy of the call letter/ Information Handout will be sent by post/ courier. Intimations will be sent by email and/ sms to the email ID and mobile number registered in the online application form. SIDBI will not take responsibility for late receipt/ non -receipt of any communication e-mailed/ sent via sms to the candidate due to change in the mobile number, email address, technical fault or otherwise beyond the control of SIDBI. Candidates are hence advised to regularly keep in touch with SIDBI's website **www.sidbi.in** for details, updates and any information which may be posted for further guidance as well as to check their registered e-mail account from time to time during the recruitment process.

24. **समूह चर्चा और साक्षात्कार (जीडी/पीआई)** के प्रशासन में कुछ समस्या होने की संभावना से पूरी तरह से इनकार नहीं किया जा सकता है जो जीडी/पीआई वितरण को प्रभावित कर सकता है और/या उत्पन्न होने वाला परिणाम हो सकता है। उस घटना में, ऐसी समस्या को सुधारने के लिए हर संभव प्रयास किया जाएगा, जिसमें उम्मीदवारों की आवाजाही, जीडी / पीआई में देरी शामिल हो सकती है। **समूह चर्चा और साक्षात्कार** का पुन संचालन सिडबी के पूर्ण विवेक पर निर्भर करता है। उम्मीदवारों के पास **समूह चर्चा और साक्षात्कार**

के पुन: संचालन के लिए कोई दावा नहीं होगा। पीआई प्रक्रिया में भाग लेने के इच्छुक या इच्छुक नहीं होने वाले उम्मीदवारों को प्रक्रिया से सरसरी तौर पर खारिज कर दिया जाएगा।

The possibility of occurrence of some problem in the administration of the **Group Discussion and Interview (GD/PI)** cannot be ruled out completely which may impact **GD/PI** delivery and/or result from being generated. In that event, every effort will be made to rectify such problem, which may include movement of candidates, delay in GD / PI. Re - conduct of **Group Discussion and Interview** is at the absolute discretion of SIDBI. Candidates will not have any claim for a re - conduct of **Group Discussion and Interview**. Candidates not willing to move or not willing to participate in the re – conducted GD / PI process shall be summarily rejected from the process.

25. यदि पर्याप्त संख्या में उम्मीदवार **समूह चर्चा और साक्षात्कार** के लिए किसी विशेष केंद्र का विकल्प नहीं चुनते हैं, तो सिडबी को उन उम्मीदवारों को किसी अन्य सहायक केंद्र आवंटित करने का अधिकार होगा या यदि उम्मीदवारों की संख्या किसी केंद्र के लिए **समूह चर्चा और साक्षात्कार** के लिए उपलब्ध क्षमता से अधिक है, तो सिडबी को उम्मीदवार को किसी अन्य केंद्र को आवंटित करने का अधिकार होगा।

If sufficient number of candidates does not opt for a particular centre for **Group Discussion and Interview**, SIDBI reserves the right to allot any other adjunct centre to those candidates OR if the number of candidates is more than the capacity available for **Group Discussion and Interview** for a centre, SIDBI reserves the right to allot any other centre to the candidate.

26. इस विज्ञापन से उत्पन्न होने वाले दावे या विवाद के किसी भी मामले के संबंध में कोई कानूनी कार्यवाही और / या उसके जवाब में कोई आवेदन केवल लखनऊ में प्रस्तुत किया जा सकता है और केवल लखनऊ में न्यायालयों / अधिकरणों / मंचों के पास किसी भी खंड / विवाद का मुकदमा करने के लिए एकमात्र और अनन्य अधिकार क्षेत्र होगा।

Any legal proceedings in respect of any matter of claim or dispute arising out of this advertisement and / or an application in response thereto can be instituted only in Lucknow and Courts / Tribunals / Forums at Lucknow only shall have sole and exclusive jurisdiction to try any clause / dispute.

27. उम्मीदवार को भविष्य में उपयोग के लिए **आवेदन पत्र / पंजीकरण संख्या और पासवर्ड का सुरक्षित रूप से सिस्टम जेनरेटेड प्रिंट आउट रखना सुनिश्चित करना होगा।** पंजीकरण संख्या/पासवर्ड की पुन: आपूर्ति के लिए किसी भी अनुरोध पर विचार नहीं किया जाएगा।

The candidate must **ensure to keep safely system generated print out of application form / registration number and password** for future use. No requests for re supply of registration number / password shall be entertained.

28. किसी भी रूप में प्रचार करना अयोग्यता होगी

Canvassing in any form will be a disqualification.

29. चयन प्रक्रिया के किसी भी चरण में पाए गए उम्मीदवार द्वारा गलत जानकारी प्रदान करने और / या प्रक्रिया उल्लंघन के उदाहरण उम्मीदवार को चयन प्रक्रिया से अयोग्य घोषित कर देंगे और उसे भविष्य में किसी भी सिडबी भर्ती प्रक्रिया में उपस्थित होने की अनुमति नहीं दी जाएगी। यदि वर्तमान चयन प्रक्रिया के दौरान ऐसे मामलों का पता नहीं चलता है, लेकिन बाद में पता लगाया जाता है, तो इस तरह की अयोग्यता पूर्वव्यापी प्रभाव के साथ होगी।

Instances for providing incorrect information and/or process violation by a candidate detected at any stage of the selection process will lead of disqualification of the candidate from the selection process and he/she will not be allowed to appear in any SIDBI recruitment process in the future. If such instances go undetected during the current selection process but are detected subsequently, such disqualification will take place with retrospective affect.

30. सिडबी को बिना कोई कारण बताए किसी भी स्तर पर किसी भी आवेदन/उम्मीदवारी को अस्वीकार करने का अधिकार है और सिडबी का निर्णय उम्मीदवार पर बाध्यकारी होगा।

SIDBI has the right to reject any application/ candidature at any stage without assigning any reason and the decision of SIDBI shall be binding on the candidate.

****

अनुलग्नक/Annexure-I

परीक्षा केंद्र (अस्थायी सूची) – ऑनलाइन परीक्षा (यदि कोई हो)

EXAMINATION CENTRES (Tentative List) – Online Examination (if any)

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र State/UT	परीक्षा केंद्र Examination Centres
आंध्र प्रदेश Andhra Pradesh	विजयवाड़ा Vijayawada
अरुणाचल प्रदेश Arunachal Pradesh	नाहरलागुन Naharlagun
असम Assam	गुवाहाटी Guwahati
बिहार Bihar	पटना Patna
चंडीगढ़ Chandigarh	चंडीगढ़- मोहाली Chandigarh – Mohali
छत्तीसगढ़ Chhattisgarh	रायपुर Raipur
दादर और नगर हवेली और दमन और दीव Dadra and Nagar Haveli & Daman and Diu	सूरत Surat
दिल्ली Delhi	दिल्ली/दिल्ली एनसीआर Delhi / Delhi NCR
गोवा Goa	पणजी Panaji
गुजरात Gujarat	अहमदाबाद-गांधीनगर Ahmedabad-Gandhinagar
हरियाणा Haryana	फरीदाबाद Faridabad
हिमाचल प्रदेश Himachal Pradesh	शिमला Shimla
जम्मू और कश्मीर Jammu and Kashmir	जम्मू Jammu
झारखंड Jharkhand	रांची Ranchi
कर्नाटक Karnataka	बेंगलुरु Bengaluru
केरल Kerala	तिरूवनंतपुरम Thiruvananthapuram
लद्दाख। Ladakh	लेह Leh
मध्य प्रदेश Madhya Pradesh	भोपाल Bhopal

महाराष्ट्र Maharashtra	मुंबई/नवी मुंबई/ठाणे/एमएमआर Mumbai/ Navi Mumbai/Thane/MMR
मणिपुर Manipur	इम्फाल Imphal
मेघालय Meghalaya	शिलांग Shillong
मिजोरम Mizoram	आईजॉल Aizwal
नागालैंड Nagaland	कोहिमा Kohima
ओडिशा Odisha	भुवनेश्वर Bhubaneshwar
पुद्दुचेरी Puducherry	पुद्दुचेरी Puducherry
पंजाब Punjab	पटियाला Patiala
राजस्थान Rajasthan	जयपुर Jaipur
सिक्किम Sikkim	गंगटोक Gangtok
तमिलनाडु Tamil Nadu	चेन्नई Chennai
तेलंगाना Telangana	हैदराबाद Hyderabad
त्रिपुरा Tripura	अगरतला Agartala
उत्तराखंड Uttarakhand	देहरादून Dehradun
उत्तर प्रदेश Uttar Pradesh	लखनऊ Lucknow
पश्चिम बंगाल West Bengal	कोलकाता Kolkata

*****

परिशिष्ट /Appendix-I

दिव्यांगजन सशक्तीकरण अधिनियम, 2016 की धारा 2 (एस) की परिभाषा के तहत आने वाले निर्दिष्ट विकलांगता वाले व्यक्ति के लिए प्रमाण पत्र, लेकिन उक्त अधिनियम की धारा 2 (आर) की परिभाषा के तहत कवर नहीं किया गया है, यानी 40% से कम विकलांगता वाले व्यक्ति और वे व्यक्ति जिन्हें लिखने में कठिनाई हो

Certificate for person with specified disability covered under the definition ofSection

2 (s) of the RPwD Act, 2016 but not covered under the definition of Section 2(r) of the said Act, i.e. persons having less than 40% disability and having difficulty in writing

यह प्रमाणित करने के लिए है कि, हमने श्री / सुश्री / श्रीमती की जांच की है । (उम्मीदवार का नाम), एस/ओ/डी/ओ .... (गांव/पीओ/पीएस/जिला/राज्य), वृद्ध............ वर्ष, एक व्यक्ति के साथ .... (विकलांगता / स्थिति की प्रकृति), और यह कहना कि उसके पास सीमा है जो उसकी उपरोक्त स्थिति के कारण उसकी लेखन क्षमता को बाधित करती है। उसे परीक्षा लिखने के लिए स्क्राइब के समर्थन की आवश्यकता होती है।

This is to certify that, we have examined Mr/Ms/Mrs .... (name of the candidate), S/o /D/o ...., a resident of ....(Vill/PO/PS/District/State), aged .... yrs, a person with .... (nature of disability/condition), and to state that he/she has limitation which hampers his/her writing capability owing to his/her above condition. He/she requires support of scribe for writing the examination.

2. उपरोक्त उम्मीदवार सहायक उपकरण जैसे प्रोस्थेटिक्स और ऑर्थोटिक्स, हियरिंग एड (निर्दिष्ट किया जाने वाला नाम) का उपयोग करता है जो उम्मीदवार के लिए स्क्राइब की सहायता से परीक्षा में उपस्थित होने के लिए आवश्यक है।

The above candidate uses aids and assistive device such as prosthetics & orthotics, hearing aid (name to be specified) which is /are essential for the candidate to appear at the examination with the assistance of scribe.

3. यह प्रमाण पत्र केवल भर्ती एजेंसियों के साथ-साथ शैक्षणिक संस्थानों द्वारा आयोजित लिखित परीक्षाओं में उपस्थित होने के उद्देश्य से जारी किया जाता है और यह तब तक ------------ मान्य होता है (यह चिकित्सा प्राधिकरण द्वारा प्रमाणित छह महीने या उससे कम की अधिकतम अवधि के लिए मान्य है)।

This certificate is issued only for the purpose of appearing in written examinations conducted by recruitment agencies as well as academic institutions and is valid upto___(it is valid for maximum period of six months or less as may be certified by the medical authority)

चिकित्सा प्राधिकारी के हस्ताक्षर /Signature of medical authority

(हस्ताक्षर एवं नाम) (Signature & Name)	(हस्ताक्षर) & नाम) (Signature & Name)	(हस्ताक्षर) & नाम) (Signature & Name)	(हस्ताक्षर) & नाम) (Signature & Name)	(हस्ताक्षर) & नाम) (Signature & Name)

आर्थोपेडिक / पीएमआर विशेषज्ञ Orthopedic / PMR specialist	क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट/रिहैबिलिटेशन साइकोलॉजिस्ट/साइकायट्रिस्ट विशेष शिक्षक Clinical Psychologist/ Rehabilitation Psychologist/Psychiatrist / Special Educator	स्नायुविज्ञानी (यदि उपलब्ध हो) Neurologist (if available)	व्यावसायिक चिकित्सक (यदि उपलब्ध हो) Occupational therapist (if available)	अन्य विशेषज्ञ, जैसाकि अध्यक्ष द्वारा नामित किया गया (यदि कोई हो) Other Expert, as nominated by the Chairperson (if any)
(हस्ताक्षर) & नाम) (Signature & Name)				
मुख्य चिकित्सा अधिकारी/सिविल सर्जन/मुख्य जिला चिकित्सा अधिकारी........... सभापति Chief Medical Officer/Civil Surgeon/Chief District Medical Officer.........Chairperson				

सील सहित सरकारी अस्पताल / स्वास्थ्य देखभाल केंद्र का नाम

Name of Government Hospital/Health Care Centre with Seal

स्थान /Place:

तिथि /Date:

परिशिष्ट-Appendix-II

दिव्यांगजन सशक्तीकरण अधिनियम, 2016 की धारा 2 (एस) की परिभाषा के तहत आने वाले निर्दिष्ट विकलांगता वाले व्यक्ति के लिए प्रमाण पत्र, लेकिन उक्त अधिनियम की धारा 2 (आर) की परिभाषा के तहत कवर नहीं किया गया है, यानी 40% से कम विकलांगता वाले व्यक्ति और वे व्यक्ति जिन्हें लिखने में कठिनाई हो

Letter of Undertaking by the person with specified disability covered under the definition of Section 2 (s) of the RPwD Act, 2016 but not covered under the definition of Section 2(r) of the said Act, i.e. persons having less than40% disability and having difficulty in writing

मैं, ----------------------------एक उम्मीदवार (विकलांगता की प्रकृति /स्थिति के साथ) --------------के लिए उपस्थित होना (आवेदक का नाम) --------------------- रोल नंबर के साथ (परीक्षा का नाम) पर जिले में (केंद्र का नाम) , (राज्य का नाम)। मेरी शैक्षिक योग्यता ----------------है।

I______________________, a candidate with______________________(nature of disability/condition) appearing for the___________________________(name of

the examination) bearing Roll No. ______________________________ at ______________________ (name of the centre) in the District ___________________,_____________________________(name of the State). My educational qualification is_______________________.

2. मैं एतदद्वारा द्वारा इसका उल्लेख करता हूँ कि (स्क्राइब का नाम) उपर्युक्त परीक्षा देने के लिए अधोहस्ताक्षरी के लिए स्क्राइब की सेवा प्रदान करेगा।
I do hereby state that___________________________________(name of the scribe) will provide the service of scribe for the undersigned for taking the aforementioned examination.

मैं यह वचन देता हूं कि उसकी योग्यता -------------------है। यदि बाद में यह पाया जाता है कि उसकी योग्यता अधोहस्ताक्षरी द्वारा घोषित नहीं है और मेरी योग्यता से परे है तो, मैं पद या प्रमाण पत्र/डिप्लोमा/डिग्री और उससे संबंधित दावों पर अपने अधिकार को अपवर्तित कर लूंगा।
I do hereby undertake that his qualification is______________________________. In case, subsequently it is found that his qualification is not as declared by the undersigned and is beyond my qualification. I shall forfeit my right to the post or certificate/diploma/degree and claims relating thereto.

(उम्मीदवार का हस्ताक्षर /Signature of the candidate)

(माता-पिता/अभिभावक द्वारा प्रतिहस्ताक्षर, यदि उम्मीदवार नाबालिग है / counter signature by the parent/guardian, if the candidate is minor)

स्थान /Place:

दिनांक /Date: